

अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार की वित्तीय स्थिति का एक संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जो सतत असंतुलन और उधार पर निर्भरता को उजागर करता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्रतिफल आदि जैसे मुद्दों को चिह्नित किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार, मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जो 94,163 वर्ग किमी में फैला हुआ है, इसमें 38 जिले और 45,103 राजस्व गांव शामिल हैं। 2025 तक, बिहार की जनसंख्या 13.04 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 9.23 प्रतिशत) थी, जिसका जनसंख्या घनत्व 1,385 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था। यह खंड राज्य की जनसांख्यिकी, जी० एस० डी० पी० और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अवलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

	बिहार	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	88.71	68.86
शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)	11.29	31.14
जनसंख्या घनत्व	1,385	430
लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर (भारत की जनगणना, 2011)	918	943
शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, 2023)	23	25
मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 महिलाओं पर (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, 2021-23)	10	5
कुल प्रजनन दर (एनएफएस-5, 2019-21)	2.98	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2019-23)	69.3	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)	33.76	14.96
साक्षरता दर (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2023-24)	74.3	80.9

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का आर्थिक प्रभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) और प्रति व्यक्ति आय, राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जिनकी चर्चा आगामी कड़िकाओं में वर्णित है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

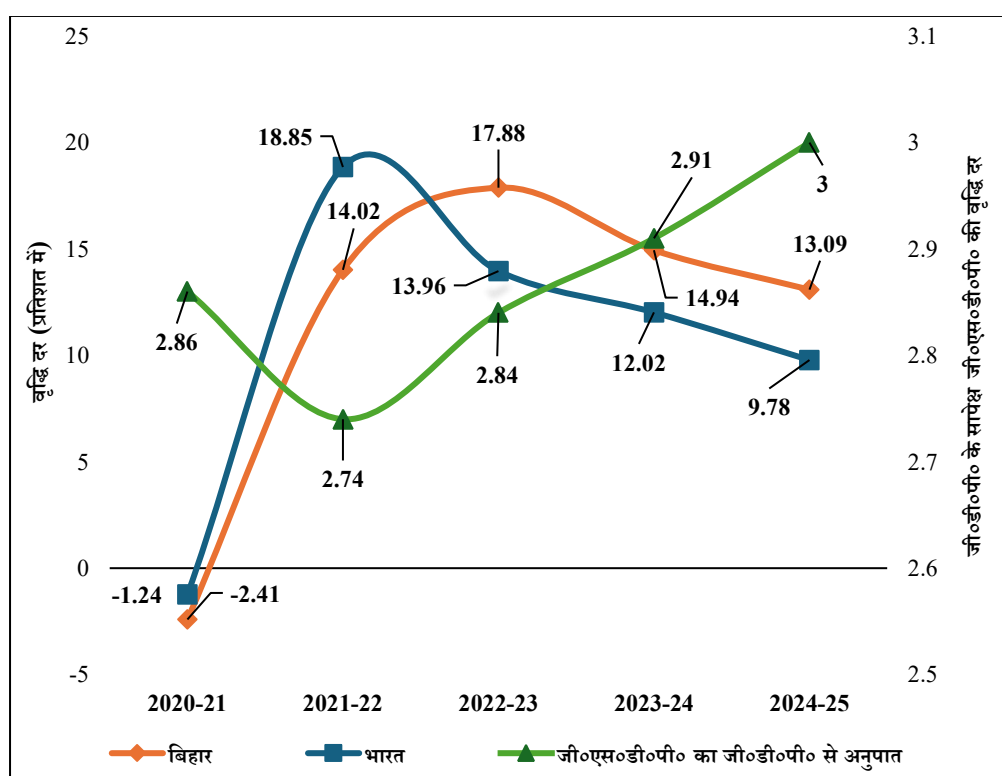
सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि जी०एस०डी०पी० राज्य स्तर पर इसे मापता है और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जी०एस०डी०पी० और जी०डी०पी० की प्रवृत्तियों को तालिका 1.2 में दर्शाया गया है। जी०एस०डी०पी० और जी०डी०पी० की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जी०डी०पी० में जी०एस०डी०पी० का योगदान चार्ट 1.1 में दिया गया है तथा देश की प्रति व्यक्ति आय एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: जी०डी०पी० की तुलना में जी०एस०डी०पी० की प्रवृत्तियाँ (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भारत की जी०डी०पी० (₹ करोड़ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
बिहार की जी०एस०डी०पी० (₹ करोड़ में)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,46,480	1,72,422	1,94,451	2,15,935	2,34,859
बिहार की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	46,412	52,144	60,573	68,609	76,490

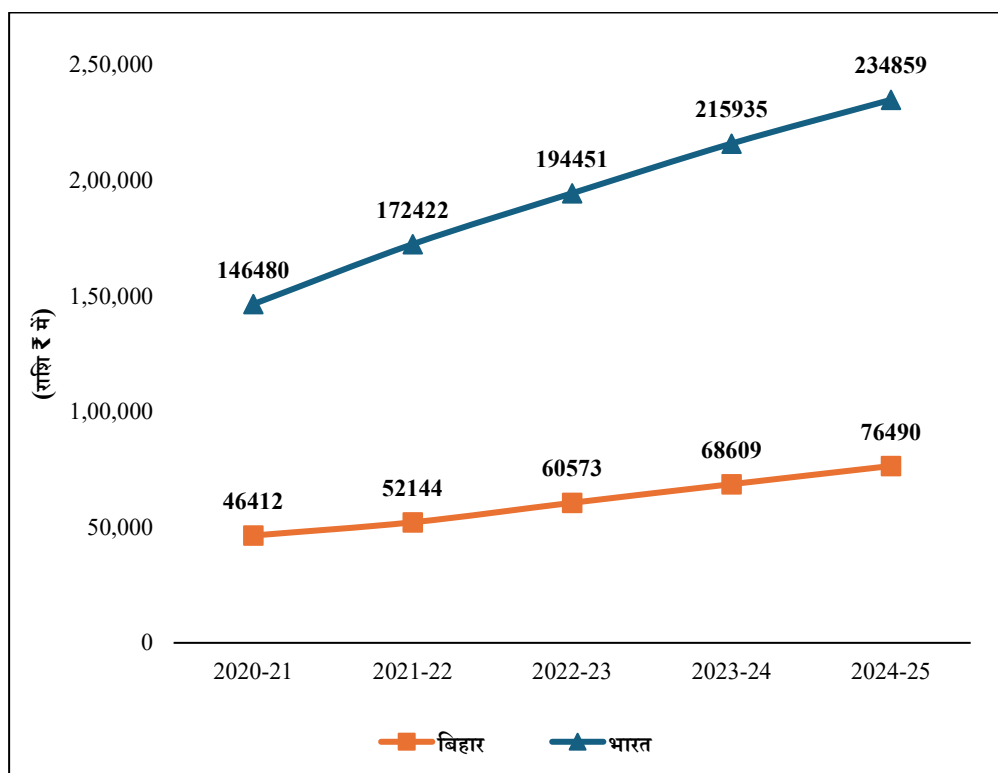
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.1: जी०डी०पी० और जी०एस०डी०पी० की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जी०डी०पी० के सापेक्ष जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.2: भारत और बिहार की प्रति व्यक्ति आय



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

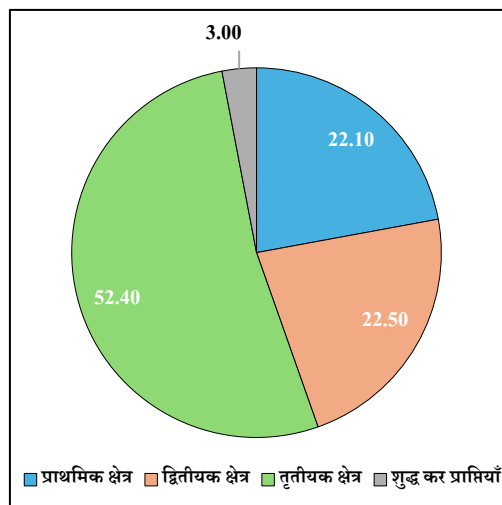
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार और भारत की अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 महामारी के कारण संकुचन हुआ। राज्य ने वर्ष 2021-22 में मजबूत सुधार का प्रदर्शन किया, जिसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा कम रही। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान, बिहार की जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर भारत की जी०डी०पी० वृद्धि दर से अधिक रही। इस अवधि में बिहार ने 13 से 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 10 से 14 प्रतिशत के बीच रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत की जी०डी०पी० के सापेक्ष बिहार की जी०एस०डी०पी० के अनुपात में 2.86 से 3.0 की वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत और बिहार दोनों की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया। यद्यपि दोनों की वृद्धि दर लगभग समान रही, फिर भी बिहार और राष्ट्रीय औसत के बीच आय का वास्तविक अंतर काफी अधिक बना रहा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय के एक-तिहाई से भी कम रही। यह दर्शाता है कि यद्यपि राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ रही है, तथापि उसका लाभ अभी तक राज्य की जनसंख्या के उच्च आय स्तर के रूप में पूर्णतः परिलक्षित नहीं हुआ है।

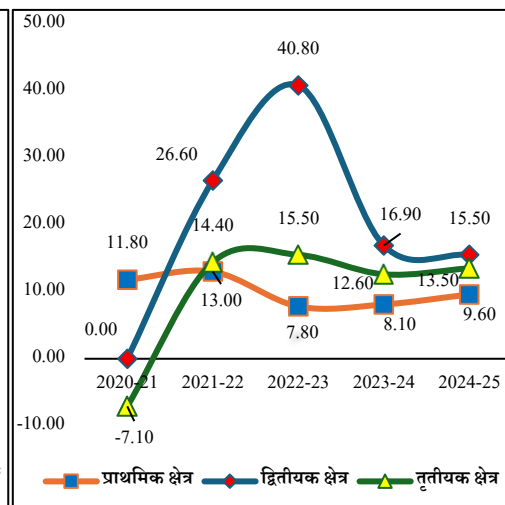
1.1.2.2 जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रवार योगदान

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का प्रक्षेत्रवार योगदान और विगत पांच वर्षों के दौरान जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: प्रक्षेत्रवार योगदान 2024-25



चार्ट 1.4: जी०एस०डी०पी० में प्रक्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत में)

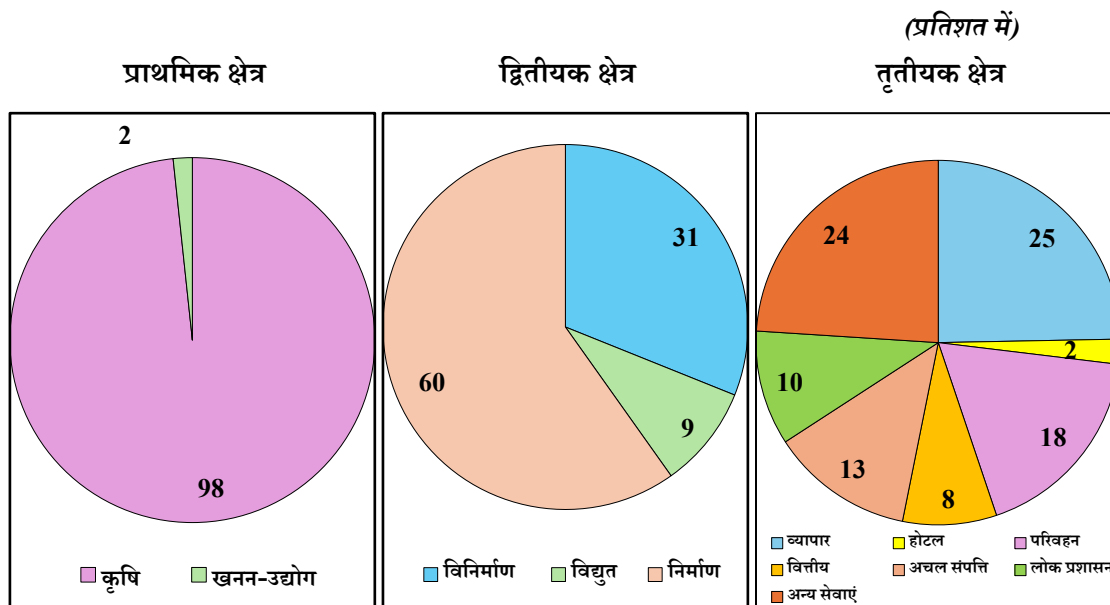


स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि स्थिर, लेकिन मामूली रही है, जो इस अवधि के दौरान औसतन आठ से 10 प्रतिशत के आसपास रही है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र ने सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक अस्थिरता दिखाई है। वर्ष 2020-21 में संकुचन के बाद, वर्ष 2022-23 में इसमें तीव्र (40 प्रतिशत से अधिक) वृद्धि हुई, जो निर्माण और अवसंरचना विस्तार से प्रेरित थी और उसके बाद इसकी वृद्धि 16 से 17 प्रतिशत के आसपास रही। तृतीयक क्षेत्र सबसे स्थिर विकास स्तंभ के रूप में उभरा, जिसने इस अवधि में 12-15 प्रतिशत (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के औसत दहाई अंकों की वृद्धि के साथ लगातार विस्तार का प्रदर्शन किया। वर्ष 2024-25 के दौरान तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाओं में बढ़ी हुई गतिविधियों से प्रेरित थी।

चार्ट 1.5 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को उसके प्रमुख योगदान देने वाले खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गतिविधियों की प्रक्षेत्रवार संरचना



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार में रोजगार मुख्यतः कृषि क्षेत्र में केंद्रित है अर्थात् राज्य के 54.20 प्रतिशत श्रमिक कृषि/वानिकी/मत्स्य क्षेत्र (वर्ष 2023-24) में संलग्न थे, जबकि 22.20 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में तथा 23.60 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे।

राज्य को अपने श्रमबल को निम्न उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से उच्च उत्पादकता वाले उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

1.1.3 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.3 वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए बिहार राज्य सरकार के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.), संशोधित अनुमान (आर.ई.) और जी०एस०डी०पी० के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 1.3: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	1,61,965.18	1,67,311.92	1,83,734.93	1,83,013.07	109.38	18.45
	(i) स्व- कर राजस्व	48,360.69	54,300.00	54,300.00	53,578.14	98.67	5.40
	(ii) संधीय करों/शुल्कों का अंश	1,13,604.49	1,13,011.92	1,29,434.93	1,29,434.93	114.53	13.05
2.	गैर-कर राजस्व	5,257.05	7,325.86	7,325.86	5,781.37	78.92	0.58
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	26,125.00	52,160.62	53,382.03	29,863.39	57.25	3.01
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,93,347.23	2,26,798.40	2,44,442.82	2,18,657.83	96.41	22.04
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	95.94	439.18	504.18	115.30	26.25	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ*	35,659.88	29,095.43	82,477.79	41,222.50	141.68	4.16
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	35,755.82	29,534.61	82,981.97	41,337.80	139.96	4.17
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,29,103.05	2,56,333.01	3,27,424.79	2,59,995.63	101.43	26.21
10.	राजस्व व्यय	1,90,514.17	2,25,677.00	2,81,230.45	2,19,015.21	97.05	22.08
11.	ब्याज भुगतान	17,605.80	20,526.19	20,526.19	19,678.14	95.87	1.98
12.	पूँजीगत व्यय	36,453.02	29,415.91	43,686.07	38,527.04	130.97	3.88
13.	ऋण एवं अग्रिम	2,135.86	1,240.09	2,508.27	2,453.38	197.84	0.25
14.	कुल व्यय (10+12+13)	2,29,103.05	2,56,333.01	3,27,424.79	2,59,995.63	101.43	26.21
15.	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (4-10)	2,833.06	1,121.41	(-)36,787.62	(-)357.38 ¹	-31.87	-0.04
16.	राजकोषीय अधिशेष (+)/ घाटा (-) {(4+5+6)-14}	(-)35,659.88	(-)29,095.43	(-)82,477.79	(-)41,222.50	141.68	4.16
17.	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (16-11)	(-)18,054.08	(-)8,569.24	(-)61,951.60	(-)21,544.36 ²	251.42	2.17

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे एवं संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

* उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल प्रारम्भिक और अंतिम नकद शेष।

¹ लेखापरीक्षा के उपरांत राजस्व घाटा ₹ 2,500.81 करोड़ रहा।

² लेखापरीक्षा के उपरांत प्राथमिक घाटा ₹ 23,687.79 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2024-25 में:

- राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 13.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट अनुमान से कम रही। राजस्व प्राप्तियों में, संधीय करों/शुल्कों के अंश का प्रमुख योगदान था और यह बजट अनुमान (114.53 प्रतिशत) से अधिक था। स्व-कर राजस्व लगभग बजट अनुमान (98.67 प्रतिशत) के बराबर था, लेकिन गैर-कर राजस्व और सहायता अनुदान एवं अंशदान काफी कम रहा, जो की क्रमशः बजट अनुमान के 79 और 57 प्रतिशत था।
- प्रतिबद्ध व्यय (₹ 86,235.64 करोड़³), जो राजस्व व्यय (₹ 2,19,015.21 करोड़) का प्रमुख घटक (39.37 प्रतिशत) था, में विगत वर्ष की तुलना में 19.84 प्रतिशत (₹ 14,274.67 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 357.38 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, जबकि बजट अनुमान में ₹ 1,121.41 करोड़ के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया था। यह राजस्व घाटा अंततः राजकोषीय घाटे में ₹ 357.38 करोड़ की वृद्धि का कारण बना।
- पूंजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 15.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान से काफी अधिक है। ₹ 31,123 करोड़ की बाजार उधारियों ने पूंजीगत प्राप्तियों में प्रमुख (75.29 प्रतिशत) योगदान दिया। पूंजीगत प्राप्तियों का कुल 33.16 प्रतिशत भाग राज्य सरकार के पूर्व ऋणों के पुनर्भुगतान में व्यय किया गया। राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय विगत वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत बढ़ा तथा यह बजट अनुमान से 30.97 प्रतिशत अधिक रहा।
- राज्य सरकार की उधारियों पर निर्भरता अभी भी उल्लेखनीय बनी हुई है तथा संसाधनों का संकलन मुख्यतः संधीय करों/शुल्कों में राज्य के हिस्से पर आधारित रहा।
- बढ़ते हुए ब्याज के बोझ (जी०एस०डी०पी० का 1.98 प्रतिशत) ने प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि करते हुए राजकोषीय लचीलेपन को और सीमित कर दिया। समग्र रूप से, राज्य की वित्तीय स्थिति गैर-कर राजस्व के संकलन में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन तथा संधीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी और बाजार उधारियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है।
- राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना तथा बढ़ती हुई प्रतिबद्ध देनदारियाँ राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा (जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत) भी बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (**कंडिका 1.5.3**) में निर्धारित सीमा (2.98 प्रतिशत) से अधिक रहा।

1.1.4 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

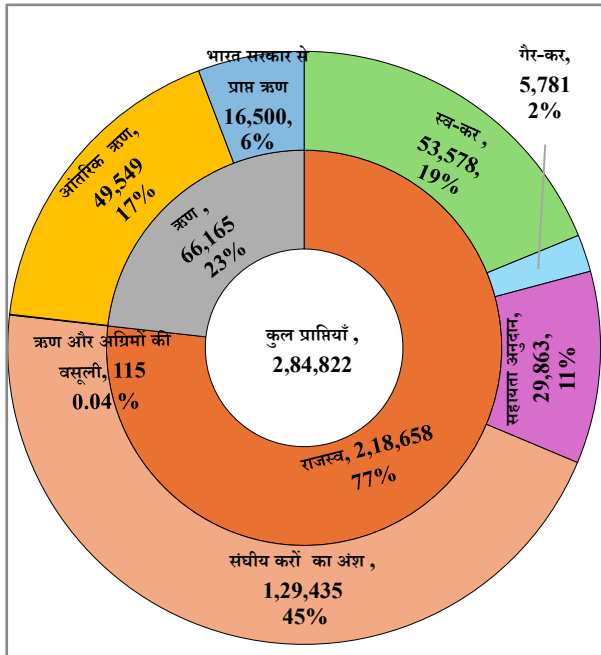
2024-25 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उनके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.6** में दर्शाई गई है।

³ इसमें वेतन एवं मजदूरी: ₹ 40,417.89 करोड़, पेंशन: ₹ 26,139.61 करोड़ तथा ब्याज भुगतान: ₹ 19,678.14 करोड़ सम्मिलित हैं।

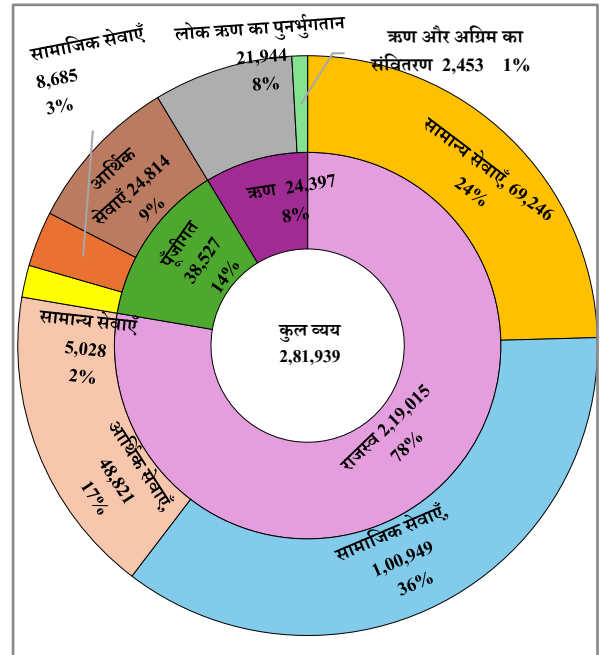
चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधियों के स्रोत



निधियों का अनुप्रयोग



स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण प्रदान करता है और विगत वर्ष के साथ वर्ष 2024-25 दौरान राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति भी प्रदान करता है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों तथा किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। **परिशिष्ट 1.3** में 31 मार्च 2025 तक की ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना विगत वर्ष की समान स्थिति से की गई है। देनदारियों में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधियाँ शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: 31 मार्च 2025 को परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियां					परिसंपत्तियां				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी
संचित निधि									
क	आंतरिक ऋण	2,36,205.16	2,65,142.06	12.25	क	सकल पूंजीगत व्यय	3,27,339.05	3,65,866.09	11.77
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम*	43,878.73	51,219.84	16.73	ख	ऋण एवं अग्रिम	27,249.57	29,587.65	8.58
आकस्मिकता निधि		350.00	350.00	0.00					
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि	9,141.12	8,628.06	-5.61	क	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	249.96	249.96	0.00
ख	जमा	39,666.57	43,647.03	10.03	ख	प्रेषण	1,128.33	1,128.43	0.01
ग	आरक्षित निधि	12,343.98	15,637.03	26.68	ग	उच्च तथा विविध	5,611.89	2,064.85	-63.21
घ	उच्च तथा विविध शेष	206.63	1,272.58	515.87	नकद शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		36,982.18	51,238.57	38.55
च	अंतर-राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00	पूर्णांककरण के कारण अंतर		-0.01	-0.03	
छ	सरकारी लेखा पर अधिशेष	56,694.77	64,164.91	13.18					
कुल		3,98,560.97	4,50,135.52	12.94	कुल		3,98,560.97	4,50,135.52	12.94

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति निधि से भारत सरकार द्वारा किए गए जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 7,827.52 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रोफार्मा समायोजन किया गया।

31 मार्च 2025 तक, राज्य की देनदारियों में वृद्धि हुई, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की उच्च शेष राशि और लोक लेखा दायित्वों में वृद्धि के कारण थी। यह उधारियों पर बढ़ती निर्भरता तथा भविष्य में पुनर्भुगतान के अधिक दबाव को दर्शाता है। परिसंपत्तियों में वृद्धि मुख्यतः पूंजीगत व्यय की संचयी शेष राशि तथा नकद शेष में वृद्धि के कारण हुई।

1.1.6 प्रमुख राजकोषीय मानकों का दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण

राज्य के प्रमुख राजकोषीय एवं आर्थिक मानकों का 2015-16 से 2024-25 की अवधि को आच्छादित करने वाला दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण (परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत) राज्य की राजकोषीय संवहनीयता पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने हेतु किया गया है। प्रमुख राजकोषीय मानकों का दस-वर्षीय प्रवृत्ति विश्लेषण निम्नलिखित है:

- **राजस्व प्राप्तियां:** विगत दस वर्षों (2015-16 से 2024-25) के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सतत वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 9.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही। यह वृद्धि मुख्यतः स्व-कर राजस्व में वृद्धि तथा संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में बढ़ोतरी के कारण हुई।

- **स्व-कर राजस्व:** राज्य के स्व-कर राजस्व में 8.62 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। यह वृद्धि जी०एस०टी० संग्रहण में सुधार और बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, तथा वाहनों पर कर आदि से उच्च संग्रह के कारण हुआ था।
- **गैर-कर राजस्व:** गैर-कर राजस्व में 11.70 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव मुख्यतः ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, उपयोगकर्ता शुल्क, पुलिस, सड़क एवं पुल तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं आदि से प्राप्त परिवर्तनीय प्राप्ति के कारण था।
- **संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी:** संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में 11.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इसमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जबकि 2020-21 से 2024-25 के बीच क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह घटक राज्य की राजकोषीय स्थिरता में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान:** भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में विगत दस वर्षों की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा इसमें कुल मिलाकर 4.81 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। यह मुख्यतः केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग के अंतरणों के अंतर्गत अनुदानों में कमी के कारण रहा।
- **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय में 11.30 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो राजस्व प्राप्ति के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। राज्य को राजस्व व्यय का एक हिस्सा उधारी के माध्यम से वित्तपोषित करना पड़ा, जो राजकोषीय दृष्टि से उचित संव्यवहार नहीं है। साथ ही, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ने वित्तीय लचीलेपन को और कम कर दिया।
- **ब्याज भुगतान:** लोक ऋण में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान में 12 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ता ब्याज बोझ, राजस्व व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्सा (2024-25 के दौरान 8.98 प्रतिशत) का उपभोग कर रहा है और विकासात्मक व्यय के लिए धन की उपलब्धता को कम कर रहा है। यह बेहतर ऋण प्रबंधन और सुदृढ़ राजस्व वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **सब्सिडी:** वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान सब्सिडी में 8.20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके पश्चात विशेष रूप से विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जहाँ वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल सब्सिडी के 79 प्रतिशत से अधिक संवितरण किया गया। सब्सिडी के बढ़ते हुए बोझ इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि ऐसे व्यय की समय-समय पर समीक्षा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय लक्षित रहे तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
- **पूंजीगत प्राप्ति:** पूंजीगत प्राप्ति में 15.28 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो मुख्यतः उधारियों में वृद्धि के कारण रही। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति, अर्थात् ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, नगण्य स्तर पर बनी रही। यह पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण एवं राजकोषीय अंतर को पाटने के लिए उधारियों पर संरचनात्मक निर्भरता को दर्शाता है।
- **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय में विगत दस वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 को छोड़कर) 5.84 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की निरंतर प्रवृत्ति देखी गई। कुल व्यय के संबंध में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 2015-16 से 2017-18 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल व्यय के संबंध में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

- **राजस्व घाटा:** वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहने के पश्चात, बिहार वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान (वर्ष 2023-24 को छोड़कर) राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा। इस घाटे का प्रमुख कारण राजस्व वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी गति (विशेषकर राज्य के स्व-कर राजस्व में) रही, जो राजस्व व्यय में तीव्र वृद्धि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- **राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा 14.63 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तीव्र गति से बढ़ा। यह विगत दस वर्षों की अधिकांश अवधि में बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रहा (वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 को छोड़कर)। इसका उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में 5.87 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 2024-25 में यह विगत वर्ष के 4.07 प्रतिशत से बढ़कर 4.16 प्रतिशत (जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष) हो गया, जो निरंतर राजकोषीय दबाव की स्थिति को दर्शाता है।
- **प्राथमिक घाटा:** विगत दस वर्षों की अवधि में बिहार प्रायः प्राथमिक घाटा वाला राज्य बना रहा (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2018-19 एवं 2019-20 को छोड़कर)। इस अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा जी०एस०डी०पी० के 1.81 प्रतिशत से 3.88 प्रतिशत के बीच रहा। विगत पाँच वर्षों में इसमें 5.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका उच्चतम स्तर वर्ष 2022-23 में 3.88 प्रतिशत रहा, जो राजस्व में गिरावट को परिलक्षित करता है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा विगत वर्ष के 2.06 प्रतिशत से बढ़कर जी०एस०डी०पी० का 2.17 प्रतिशत हो गया।
- **बकाया देनदारियाँ:** वर्ष 2015-16 में ₹ 1,16,578 करोड़ की बकाया देनदारियाँ बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,74,134 करोड़ हो गईं। इस प्रकार, विगत दस वर्षों की अवधि में बकाया देनदारियाँ 13.83 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए तीन गुना से अधिक हो गईं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऋण से जी०एस०डी०पी० का अनुपात संबंधित वर्षों के लिए बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2006 में निर्धारित सीमा से लगातार अधिक रहा। इसके पश्चात, यद्यपि यह बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 में निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में रहा, फिर भी यह उच्च अनुपात राजकोषीय अंतर के प्रबंधन हेतु उधारियों पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है। बढ़ते हुए ऋण स्तर तथा ब्याज दीर्घकालिक संवहनीयता सम्बंधित चिंताएँ उत्पन्न करता है।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- राज्य राजस्व असंतुलन की स्थिति का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण निम्न गैर-कर राजस्व तथा संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी पर निर्भरता है।
- बढ़ते ब्याज भुगतान, सब्सिडी और प्रतिबद्ध व्यय ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाला है।
- उधारियों में वृद्धि हुई, जो उच्च राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे को दर्शाती है।
- पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई, जो दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन और आर्थिक विकास को सीमित करता है।

राजकोषीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को राजस्व संग्रहण में सुधार, सब्सिडी का युक्तिकरण, पूंजीगत व्यय की प्रभावकारिता में वृद्धि तथा ऋण प्रबंधन को अधिक विवेकपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

1.2 राज्य की संचित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार को ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि राज्य की संचित निधि का हिस्सा हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-25 की पाँच वर्षीय अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियों और वृद्धि को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्ति (क + ख + ग)	1,28,168.34	1,58,797.33	1,72,688.02	1,93,347.23	2,18,657.83
(क) कर राजस्व (i+ii)	90,203.08	1,26,207.16	1,39,527.58	1,61,965.18	1,83,013.07
(i) स्व- कर राजस्व	30,341.67	34,854.54	44,017.73	48,360.69	53,578.14
(ii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	59,861.41	91,352.62	95,509.85	1,13,604.49	1,29,434.93
(ख) गैर-कर राजस्व	6,201.38	3,984.34	4,134.90	5,257.05	5,781.37
(ग) भारत सरकार से सहायता अनुदान	31,763.88	28,605.83	29,025.54	26,125.00	29,863.39
राज्य का स्व राजस्व (स्व-कर और गैर-कर राजस्व)	36,543.05	38,838.88	48,152.63	53,617.74	59,359.51
जी०एस०डी०पी० (2011-12 श्रृंखला)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्ति	3.17	23.90	8.75	11.96	13.09
राज्य का स्व राजस्व	7.93	6.28	23.98	11.35	10.71
जी०एस०डी०पी०	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
राजस्व प्राप्ति / जी०एस०डी०पी०	22.57	24.53	22.63	22.04	22.04
उत्प्लावन अनुपात⁴					
जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	*	1.71	0.49	0.80	1.00
जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में राज्य के स्व राजस्व की उत्प्लावकता	*	0.45	1.34	0.76	0.82

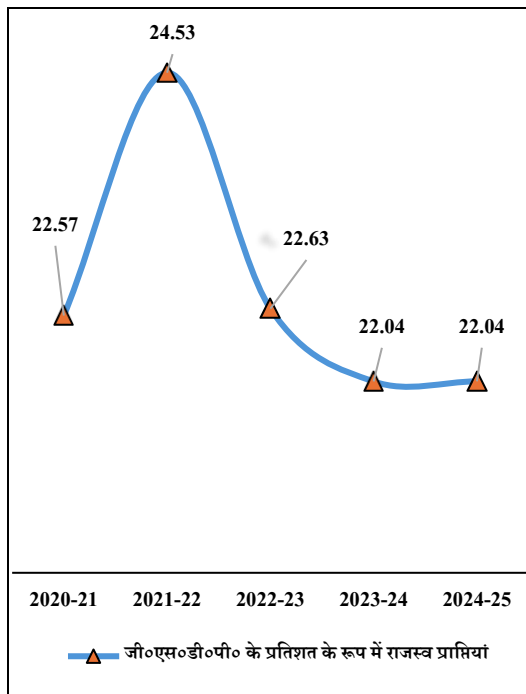
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

* उत्प्लावन अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि जी०एस०डी०पी० वृद्धि ऋणात्मक थी।

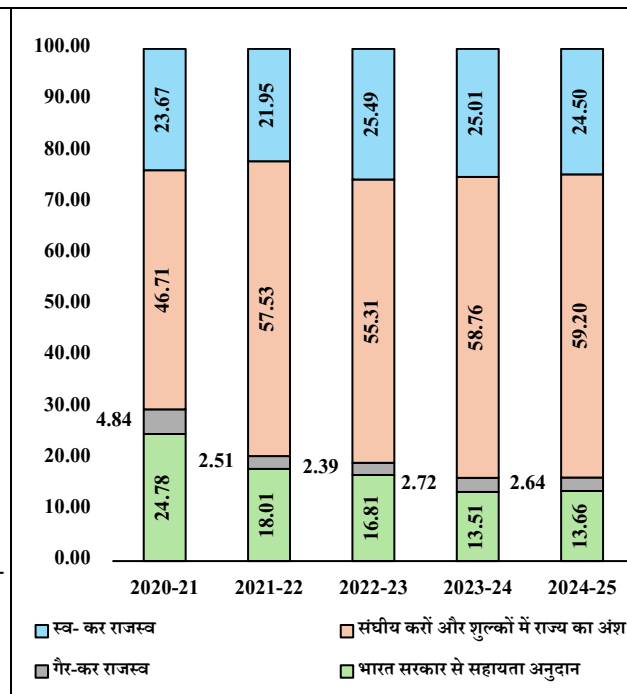
⁴ उत्प्लावन अनुपात आधार चर में हुए परिवर्तन के प्रति किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को दर्शाता है।

जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों का योगदान चार्ट 1.7 और चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में योगदान (प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

राजस्व प्राप्तियों का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात वर्ष 2020-21 के 22.57 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 24.53 प्रतिशत हो गया तथा विगत दो वर्षों के दौरान स्थिर रहा। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 24.78 प्रतिशत से घटकर 13.66 प्रतिशत रह गया, जिसका मुख्य कारण जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति अनुदानों की समाप्ति तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शन-आधारित एवं सशर्त अंतरणों की ओर झुकाव रहा। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, जो राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा और बढ़ता हुआ घटक है, वर्ष 2020-21 के 46.71 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 59.20 प्रतिशत हो गया तथा इसने केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदानों में हुई कमी की भरपाई की।

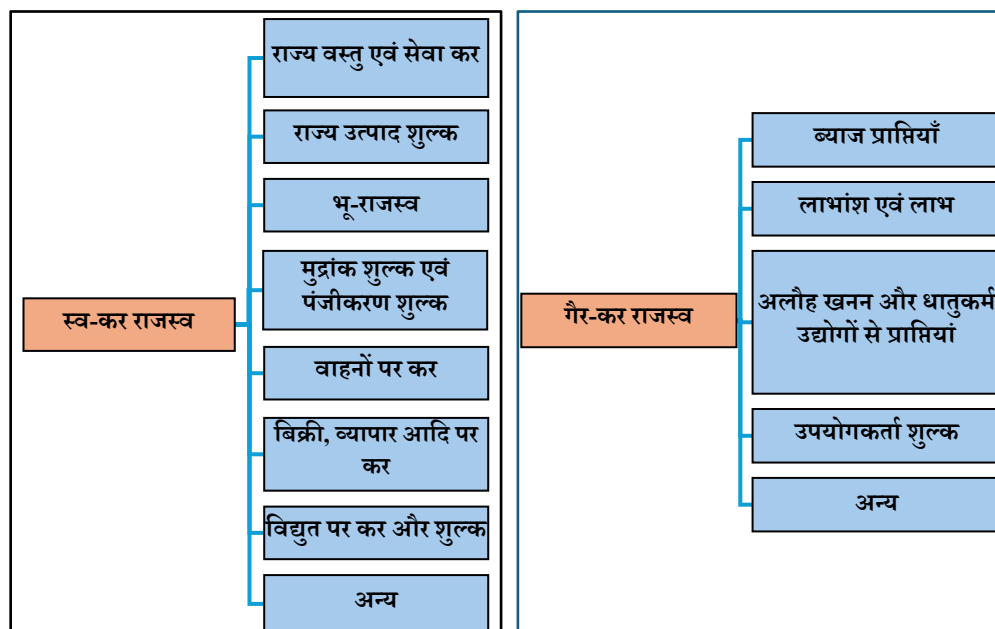
राज्य के स्व-कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2022-23 में 25.49 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँचा, किंतु इसके पश्चात घटकर वर्ष 2024-25 में 24.50 प्रतिशत रह गया। यह दर्शाता है कि राज्य को अपने आंतरिक राजस्व आधार को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर-कर राजस्व दो से पाँच प्रतिशत के बीच ही सीमित रहा, जो कर-आधारित राजस्व से परे राजस्व स्रोतों के सीमित विविधीकरण को दर्शाता है। समग्र रूप से, जी०एस०डी०पी० में निरंतर वृद्धि के बावजूद, राज्य के स्व राजस्व का उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत हिस्सा लगातार घटता रहा, जिससे यह परिलक्षित होता है कि कर प्रशासन सुधार एवं नीतिगत विविधीकरण के प्रयास अभी तक समानुपातिक लाभ में परिवर्तित नहीं हो सके हैं। राज्य की जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष राजस्व उत्पादकता में विगत तीन वर्षों के दौरान सुधार देखा गया तथा महामारी अवधि की अस्थिरता के पश्चात वर्ष 2024-25 में यह सामान्य⁵ स्तर पर पहुँची।

⁵ जब राजस्व उत्पादकता एक के बराबर होती है, तब राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गति से बढ़ती हैं।

चूँकि केंद्रीय अंतरणों पर अधिक निर्भरता सीमित राजकोषीय स्वायत्तता को दर्शाती है, अतः सतत एवं आत्मनिर्भर राजकोषीय प्रबंधन के लिए राज्य को अपने कर आधार का विस्तार, संग्रहण दक्षता में सुधार तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे राजस्व उत्प्लावकता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

क राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का विवरण



i. स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है, जिसे राज्य सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत लगाए गए करों के माध्यम से संग्रहित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक आंकड़े तालिका 1.6 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व : 2023-24 (वास्तविक) तथा 2024-25
(बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

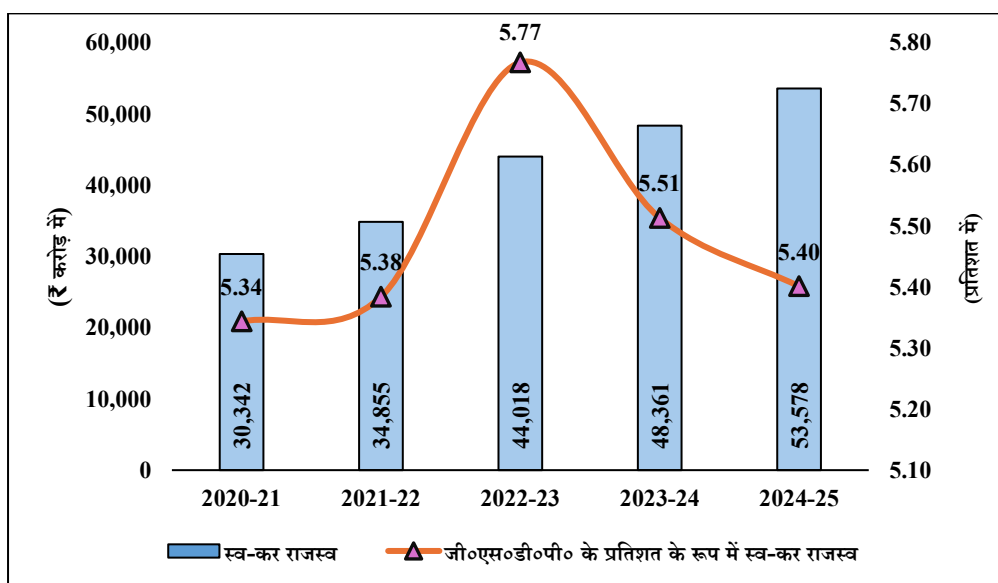
कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस०जी०एस०टी०)	27,678	31,565	31,565	29,003
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,371	10,010	10,010	10,554
विद्युत पर कर एवं शुल्क	846	750	750	1570
भू-राजस्व	580	600	600	571
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	6,348	7,500	7,500	7,975
वाहनों पर कर	3,358	3,700	3,700	3,678
राज्य उत्पाद शुल्क	1	0	0	0
अन्य	179	175	175	227
कुल	48,361	54,300	54,300	53,578

स्रोत: राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं बजट

तालिका 1.6 यह दर्शाती है कि राज्य का स्व-कर राजस्व (ओ०टी०आर०) वर्ष 2023-24 के ₹ 48,361 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 53,578 करोड़ हो गया, जो 10.79 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, इस वृद्धि के बावजूद स्व-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से ₹ 722 करोड़ (1.30 प्रतिशत) कम रही, जिसका मुख्य कारण बजट अनुमान की तुलना में एस०जी०एस०टी०, भू-राजस्व तथा वाहनों पर कर के अंतर्गत कम प्राप्तियाँ रही। कुल वृद्धि मुख्यतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, बिक्री/व्यापार पर कर तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क में वृद्धि के कारण हुई। अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य निषेध लागू होने के कारण राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व नगण्य रहा। “अन्य” शीर्ष (जिसमें पेशा कर, मनोरंजन कर आदि सम्मिलित हैं) के अंतर्गत संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व एवं उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में दर्शाई गई हैं।

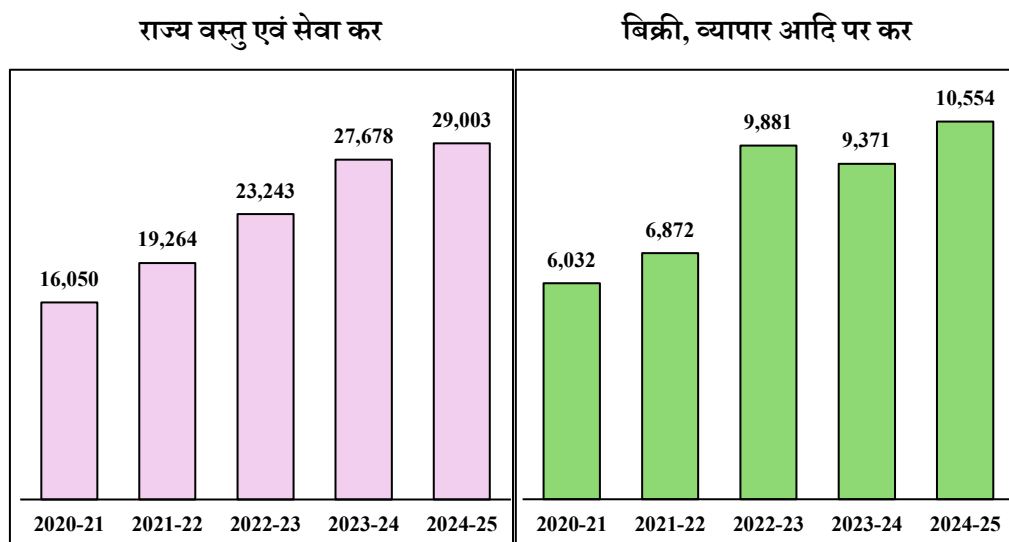
चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ



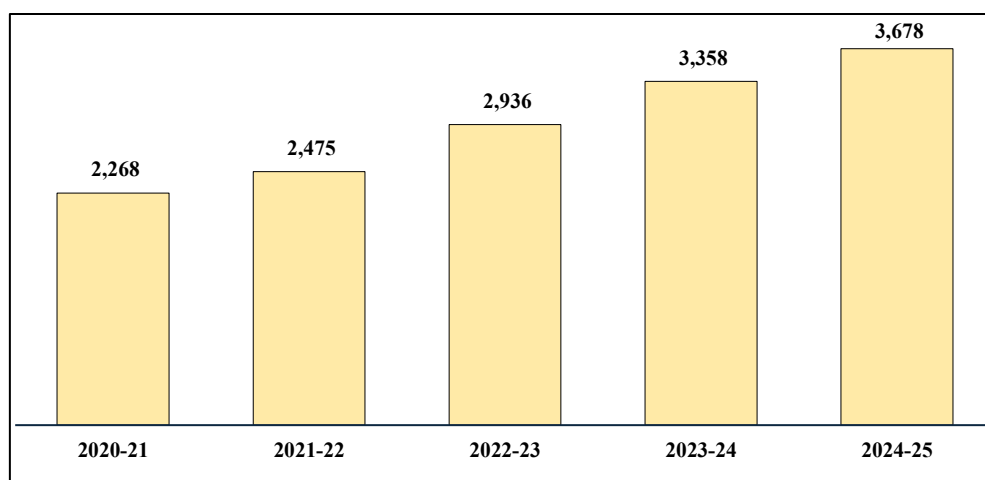
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख, बिहार सरकार

चार्ट 1.11: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

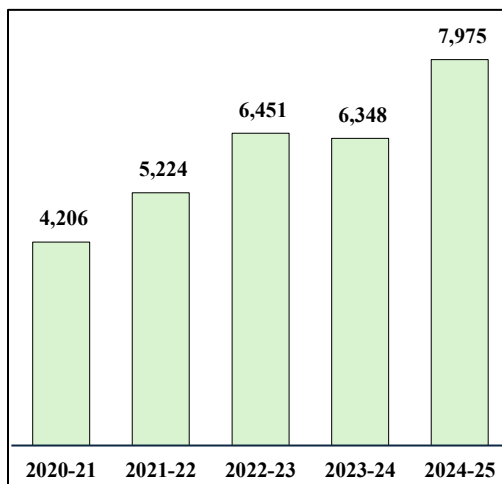
(₹ करोड़ में)



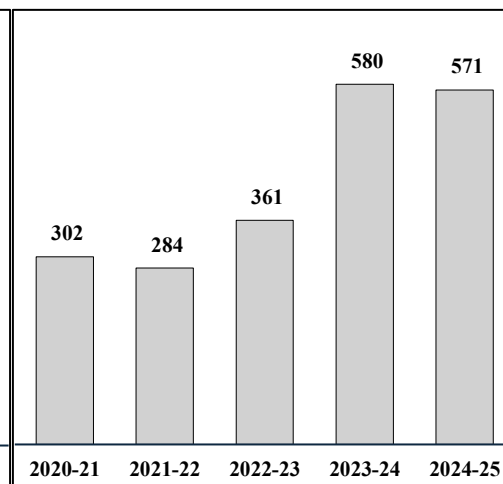
वाहनों पर कर



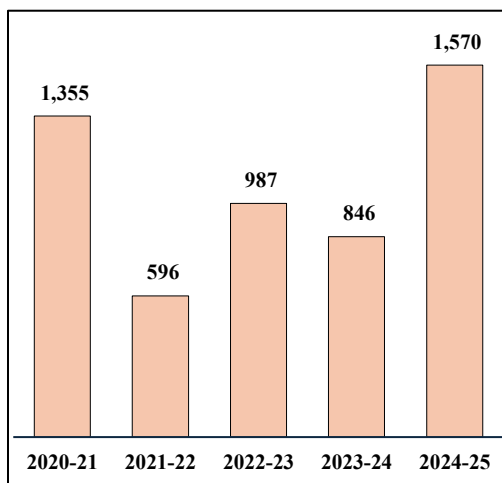
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क



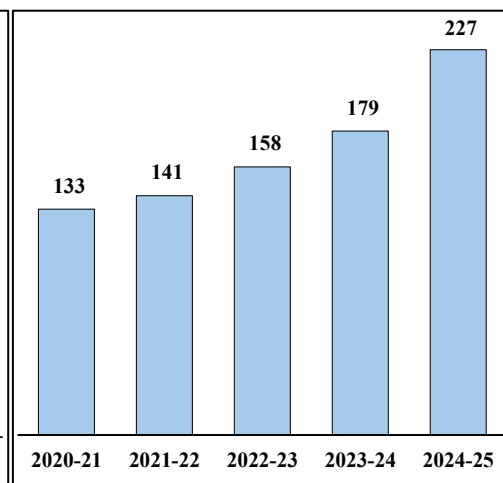
भू-राजस्व



विद्युत पर कर एवं शुल्क



अन्य



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस०जी०एस०टी०) की प्राप्तियों में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, वर्ष 2024-25 में इसकी वास्तविक प्राप्ति बजट अनुमान से ₹ 2,562 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम रही। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य के स्व-कर राजस्व में लगभग

54 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। एस०जी०एस०टी० में वृद्धि मुख्यतः 'कर' तथा 'एस०जी०एस०टी० और आई०जी०एस०टी० के इनपुट टैक्स क्रेडिट पारस्परिक समायोजन के अंतर्गत प्राप्ति' में वृद्धि के कारण हुई।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 'मूल्य वर्धित कर से प्राप्त राजस्व' (12.02 प्रतिशत) तथा 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति' (954.13 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया।
- वाहनों पर कर के अंतर्गत प्राप्ति वर्ष 2020-21 में ₹ 2,268 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,678 करोड़ हो गई, जो 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह वृद्धि मुख्यतः 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम' (9.67 प्रतिशत) तथा 'भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति' (7.16 प्रतिशत) के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई। यह मुख्यतः वाहन पंजीकरण में वृद्धि तथा ऑनलाइन पंजीकरण एवं कर भुगतान प्रणाली के माध्यम से संग्रह दक्षता में सुधार के कारण हुआ। यह उच्च-अनुपालन एवं सुदृढ़ राजस्व शीर्ष है, एवं इसमें वृद्धि अवसरचना विस्तार एवं बढ़ती लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को निकटता से प्रभावित करती है।
- मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 4,206 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 7,975 करोड़ हो गया, जो 90 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में इसमें 25.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में यह वृद्धि मुख्यतः 'न्यायिक-मुद्रांक की बिक्री' (11.32 प्रतिशत), 'दस्तावेजों पर मुद्रांकन शुल्क' (25.49 प्रतिशत) तथा 'दस्तावेजों के पंजीकरण शुल्क' (24 प्रतिशत) की प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई।
- भू-राजस्व के अंतर्गत संग्रह वर्ष 2023-24 के ₹ 580 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 571 करोड़ रह गया। यह मुख्यतः 'पूर्व जमींदारी सम्पदाओं के प्रबंधन से प्राप्ति' (99 प्रतिशत), 'सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों से प्राप्ति' (68 प्रतिशत) तथा 'सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्ति' (40 प्रतिशत) में कमी के कारण हुआ।
- 'विद्युत कर एवं शुल्क' के अंतर्गत प्राप्ति परिवर्तनशील रही, किन्तु समग्र रूप से ₹ 1,355 करोड़ (2020-21) से बढ़कर ₹ 1,570 करोड़ (2024-25) हो गई। वर्ष 2024-25 की प्राप्ति में वृद्धि मुख्यतः 'विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर' (88.43 प्रतिशत) तथा 'भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत शुल्क' (2.63 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व प्रदर्शन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के कर प्रशासन को मजबूत करने, कर आधार का विस्तार करने, जी०एस०टी० एवं संपत्ति कर अनुपालन में सुधार लाने तथा कुशल निगरानी एवं संग्रह के लिए डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ii. गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व से आशय राज्य सरकार द्वारा करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, किराया तथा अन्य प्राप्ति से है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.7** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.7: मुख्य गैर-कर राजस्व : 2023-24 (वास्तविक) तथा 2024-25
(बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

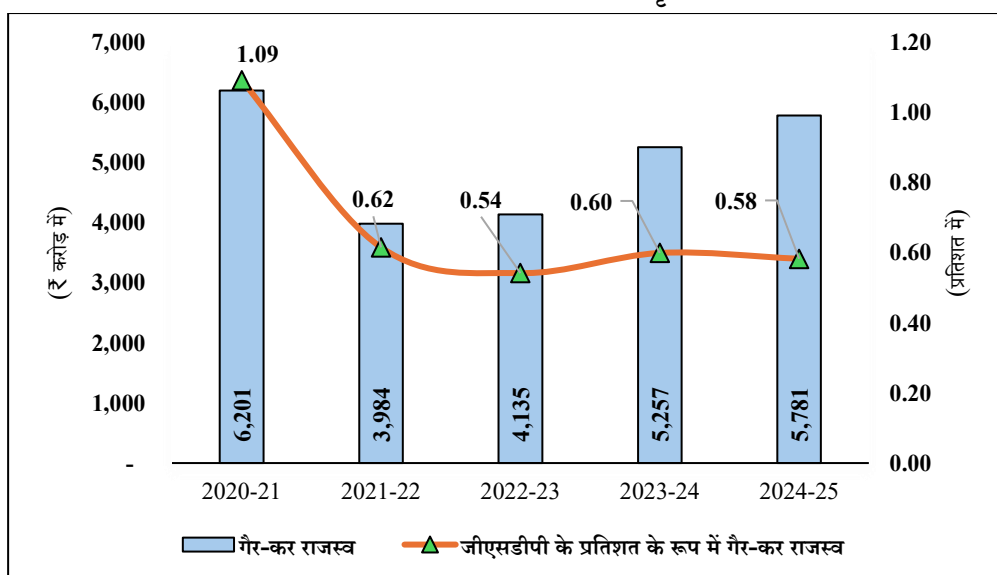
गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियां	3,114.79	3,500.00	3,500.00	3,536.21
ब्याज प्राप्तियां	897.00	1,719.26	1,719.26	1,466.91
लाभांश और लाभ	9.51	7.30	7.30	3.34
उपयोगकर्ता शुल्क ⁶	108.58	189.13	189.13	177.48
अन्य ⁷	1,127.17	1,910.17	1,910.17	597.42
कुल	5,257.05	7,325.86	7,325.86	5,781.36

स्रोत: वित्त लेखा 2024-25 एवं बजट दस्तावेज 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के गैर-कर राजस्व में 2023-24 की तुलना में 9.97 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि हुई, किंतु यह बजट अनुमान से लगभग ₹ 1,545 करोड़ (21 प्रतिशत) कम रहा, अर्थात् राज्य अपने लक्षित गैर-कर राजस्व की प्राप्ति में उतनी सीमा तक पीछे रहा। यह कमी मुख्यतः “अन्य” शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियों तथा ब्याज एवं लाभांश प्राप्तियों में अपेक्षित प्रदर्शन न होने के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई खनन एवं उपयोगकर्ता शुल्क से प्राप्त अधिक राजस्व द्वारा की गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान गैर-कर राजस्व तथा उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.12 : गैर-कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

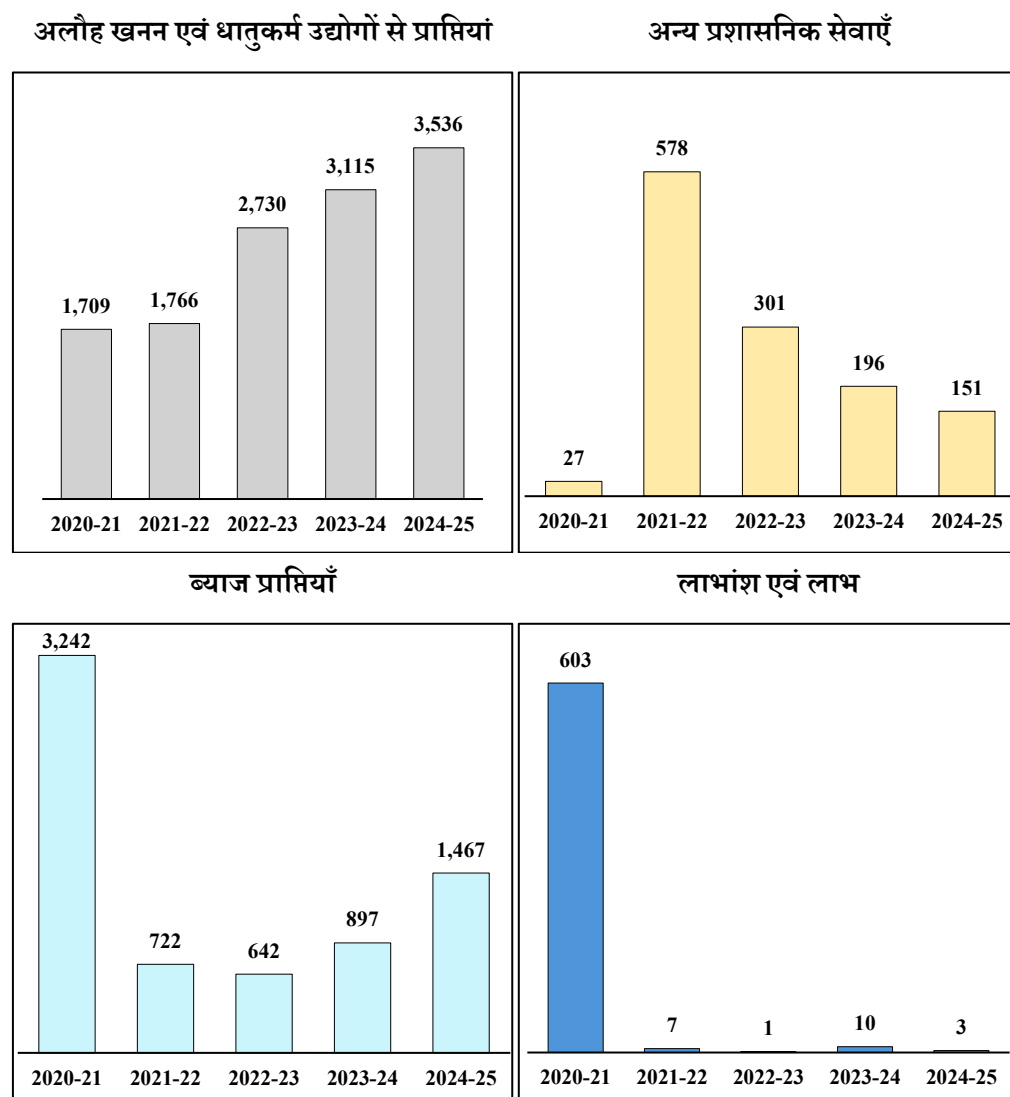
⁶ वित्त लेखे 2024-25 के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई, परिवहन तथा पर्यटन के तहत आनेवाले सभी गैर-कर राजस्व, जो मुख्य शीर्ष 0202, 0210, 0215, 0700, 0701, 1054 और 1452 से संबंधित हैं, उपयोगकर्ता शुल्क हैं।

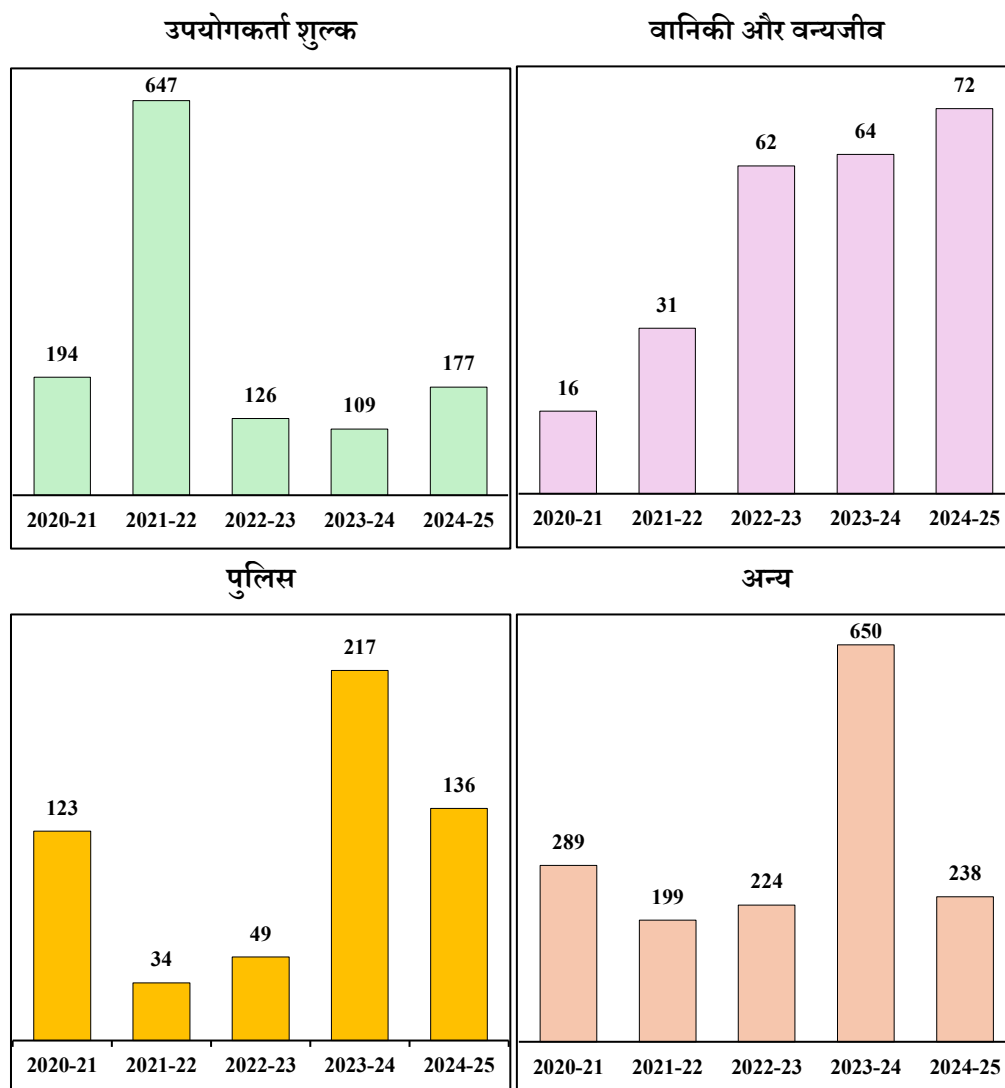
⁷ मुख्य रूप से मत्स्य पालन (-19%), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (-31%), उद्योग (-99.86%), सड़क एवं पुल (52%), पर्यटन (99%) शामिल हैं।

गैर-कर राजस्व वर्ष 2020-21 के ₹ 6,201 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹ 3,984 करोड़ हो गया, किंतु इसके पश्चात पुनः बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 5,781 करोड़ तक पहुँच गया। हालांकि, जी०एस०डी०पी० में इसकी हिस्सेदारी 1.09 प्रतिशत से गिरकर 0.58 प्रतिशत हो गई है, जो अर्थव्यवस्था के सापेक्ष सीमित वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)





स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2024-25 में गैर-कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.64 प्रतिशत रहा, जो विगत वर्ष (2.72 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा कम है। जी०एस०डी०पी० में राज्य के गैर-कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2024-25 में केवल 0.58 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2023-24 (0.60 प्रतिशत) से कम है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग एवं बी०एफ०आर०बी०एम० के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2024-25 में प्राप्त नहीं किए जा सके। गैर-कर राजस्व की संरचना से स्पष्ट होता है कि यह मुख्यतः अलौह खनन एवं ब्याज प्राप्तियों पर निर्भर है, जो मिलकर राज्य की गैर-कर आय का प्रमुख आधार बनाते हैं।
- 'अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग' के तहत प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बनीं रहीं, जो विगत पाँच वर्षों में 107 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए सुदृढ़ एवं स्थिर वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में वृद्धि मुख्यतः 'खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी' के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- 'ब्याज प्राप्तियों' के तहत राजस्व अस्थिर रहा लेकिन विगत दो वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से 'विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज' और

'अन्य प्राप्तियों' के तहत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में उल्लेखनीय वृद्धि संचित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज की ₹ 2,600 करोड़ की मोचन राशि के कारण हुई थी।

- 'लाभांश एवं लाभ' में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 603.01 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 3.34 करोड़ रह गया। वर्ष 2020-21 में यह प्राप्ति राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अर्जित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश जारी होने के कारण असाधारण रूप से अधिक थी। इसके पश्चात लगातार कम प्राप्तियाँ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कमजोर लाभप्रदता अथवा लाभांश घोषणा में विलंब को दर्शाती हैं। यह सुधारों, बेहतर वित्तीय पर्यवेक्षण तथा संतुलित/तर्कसंगत लाभांश नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के तहत प्राप्तियों में पर्याप्त उतार-चढ़ाव देखा गया, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 26.53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 578.12 करोड़ हो गई। इसके पश्चात यह घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 151.30 करोड़ रह गई, जो प्रशासनिक शुल्क सुधारों एवं डिजिटल सेवा शुल्क के माध्यम से राजस्व सुदृढीकरण की संभावनाओं को इंगित करता है।
- उपयोगकर्ता शुल्क गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण का एक प्रमुख सिद्धांत सेवाओं की वर्तमान लागत की वसूली के साथ पूंजीगत निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर, विगत पांच वर्षों के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2024-25 में इसमें विगत वर्ष की तुलना में 62.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- पुलिस विभाग से गैर-कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष तीव्र परिवर्तन देखा गया, वर्ष 2023-24 में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई और उसके पश्चात, यह वर्ष 2024-25 में 37.27 प्रतिशत घटकर ₹ 136.18 करोड़ हो गया।

गैर-कर राजस्व को सुदृढ करने के लिए राज्य को अपने संसाधनों का विविधीकरण करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता में वृद्धि, युक्तिसंगत उपयोगकर्ता शुल्क लागू करना, रॉयल्टी एवं शुल्क संग्रह तंत्र में सुधार तथा राजस्व प्रशासन का डिजिटलीकरण आवश्यक है।

ख संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.8 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी०जी०एस०टी०)	17,788.67	25,442.20	26,989.02	34,477.56	37,802.92
निगम कर	18,062.14	27,178.50	32,019.47	34,099.01	36,727.91
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	18,517.49	26,661.32	31,262.19	39,379.86	46,839.17
सीमा शुल्क	3,179.93	6,775.97	3,754.66	3,981.12	6,585.17
संघीय उत्पाद शुल्क	2,012.03	3,868.86	1,178.03	1,506.54	1,267.38
सेवा कर	258.09	1,326.22	149.28	21.16	4.13

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अन्य कर ⁸	43.06	99.55	157.20	139.24	208.25
कुल	59,861.41	91,352.62	95,509.85	1,13,604.49	1,29,434.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* 'आई०जी०एस०टी०' के विभाजन तथा 'आई०जी०एस०टी०' के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत प्राप्तियाँ एस०जी०एस०टी० में सम्मिलित हैं।

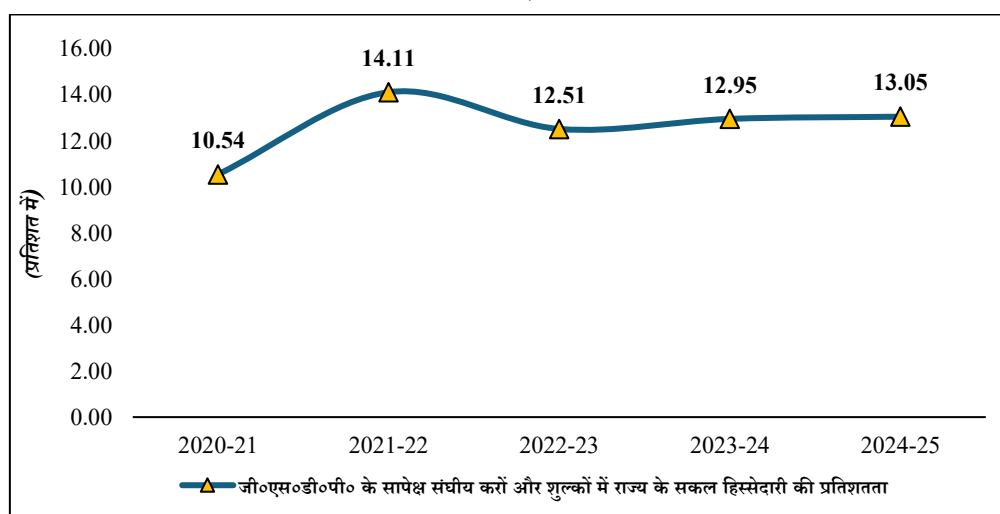
वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी' के अंतर्गत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 21.26 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही, जो जी०एस०डी०पी० की 14.97 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी०एस०टी० एवं प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत अधिक अंतरण के कारण हुई। सी०जी०एस०टी०, निगम कर तथा 'निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर' इस अंतरण के प्रमुख योगदानकर्ता रहे।

वर्ष 2024-25 में कुल कर अंतरणों में सी०जी०एस०टी० की हिस्सेदारी 29.21 प्रतिशत रही। 'सी०जी०एस०टी०' के अंतर्गत राज्य की बढ़ती प्राप्तियाँ यह दर्शाती हैं कि राज्य केंद्रीय कर पूल के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। 'सीमा शुल्क' एवं 'संघीय उत्पाद शुल्क' से प्राप्तियाँ मिलकर बिहार के हिस्से का सात प्रतिशत से कम योगदान देती रहीं तथा विगत पाँच वर्षों में इनमें अस्थिरता देखी गई। जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात 'अन्य कर' एवं 'सेवा कर' के अंतर्गत प्राप्तियाँ नगण्य हो गईं और कुल अंतरणों में इनका योगदान 0.5 प्रतिशत से भी कम रहा।

केंद्रीय अंतरणों पर राज्य की अत्यधिक निर्भरता (कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 59 प्रतिशत) सीमित राजकोषीय स्वायत्तता को दर्शाती है। यह निर्भरता स्वयं के राजस्व सृजन, विशेषकर एस०जी०एस०टी० के अतिरिक्त अन्य करों एवं गैर-कर स्रोतों में मौजूद अंतराल को भी रेखांकित करती है, जिनकी राजकोषीय सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी' का प्रतिशत चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.14: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष संघीय करों और शुल्कों में राज्य के सकल हिस्सेदारी की प्रतिशतता



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁸ इसमें संपत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान 'संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी' के अंतर्गत प्राप्तियाँ जी०एस०डी०पी० के 11 से 14 प्रतिशत के बीच रहीं। यह प्रवृत्ति संघीय अंतरणों पर सतत् निर्भरता को दर्शाती है तथा राज्य के स्वयं के राजस्व आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

ग भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.9 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: 2020-21 से 2024-25 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

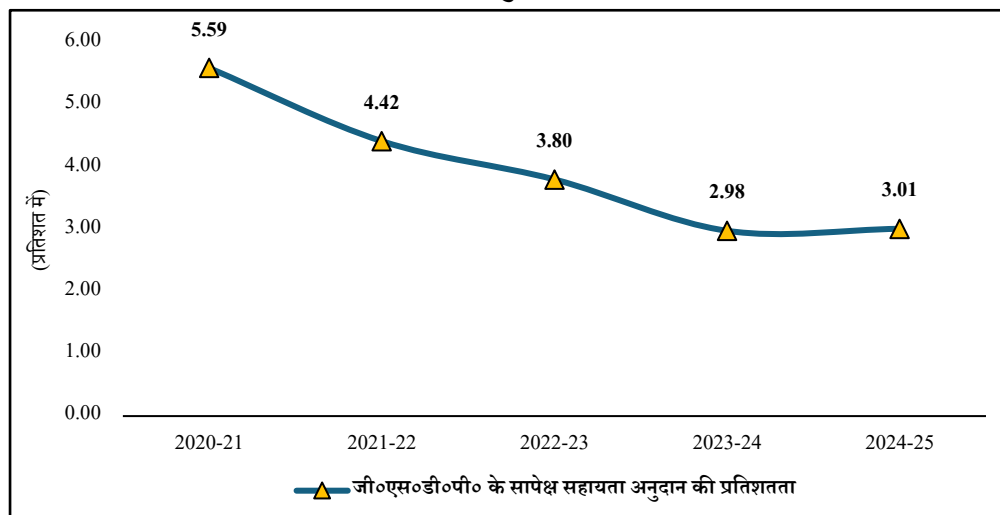
(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	16,609.56	17,832.91	22,237.18	17,961.52	21,217.54
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	(-)33.57	0.00	(-)374.48	(-)167.08	(-)85.08
वित्त आयोग अनुदान	8,850.00	7,077.56	6,732.65	7,662.52	8,360.34
विधानमंडल वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य अनुदान	6,337.89	3,695.36	430.19	668.05	370.59
कुल	31,763.88	28,605.83	29,025.54	26,125.00	29,863.39

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता चार्ट 1.15 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.15 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अनुपात में 2023-24 तक क्रमिक कमी देखी गई, लेकिन 2024-25 में इसमें मामूली वृद्धि भी हुई। इसके अतिरिक्त, विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित ₹ 660.21 करोड़ का सहायता अनुदान, जो लेखा शीर्ष 1601-02-900 के अंतर्गत था, वापस कर दिया गया था।

राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य को निधियों के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने तथा घटते सहायता अनुदान की पूर्ति के लिए स्व-राजस्व सुदृढीकरण के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

i केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 21,217.54 करोड़ के अनुदान में से मुख्य आवंटन उन योजनाओं को किया गया, जिन्हें तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	2024-25	2023-24	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,279.61	29.66	7,586.45
समग्र शिक्षा अभियान	4,217.81	4,241.73	-0.56
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1,915.47	1,915.87	-0.02
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पीएम पोषण 2.0	2,262.92	1,859.29	21.71
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1,725.33	263.73	554.20
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा शहरी स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	1,656.48	1,148.44	44.24
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	1,180.78	866.05	36.34
पीएम पोषण	1,225.66	923.24	32.76
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,085.59	1,153.55	-5.89
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	852.14	434.73	96.02

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर व्यय में असमान वृद्धि देखी गई, जिसमें आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण एवं ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि सामाजिक एवं आजीविका उन्मुख सहभागिता को दर्शाती है। इसके विपरीत, समग्र शिक्षा अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत व्यय लगभग स्थिर रहा, जबकि सामाजिक पेंशन पर व्यय में कमी आई। समग्र रूप से यह प्रवृत्ति समावेशी विकास परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु संतुलित क्षेत्रीय वित्तपोषण तथा बेहतर पूर्वानुमान की आवश्यकता को दर्शाती है।

ii पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों के स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा शमन निधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक विमुक्ति और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अन्तरण	2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश	भारत सरकार द्वारा 2024-25 के दौरान वास्तविक विमुक्ति	राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति (भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	4,114.00	4,111.92	4,111.92 (100)
(क) प्रदर्शन/ बद्ध अनुदान	2,468.40	2,467.15	2,467.15 (100)
(ख) अबद्ध अनुदान	1,645.60	1,644.77	1,644.77 (100)
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	2,119.00	2,453.31	2,453.31 (100)
(क) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (प्रदर्शन /बद्ध अनुदान)	358.00	239.00	239.00 (100)
(ख) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (सामान्य बुनियादी/अबद्ध अनुदान)	1,761.00	2,214.31	2,214.31 (100)
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	1,249.20	0.00	0.00
स्थानीय निकायों के लिए कुल (i+ii+iii)	7,482.20	6,565.23	6,565.23
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस०डी०आर०एफ०)	केन्द्रांश	1,415.20	1,311.20 (100)
	राज्यांश	471.20	436.80 (100)
राज्य आपदा शमन निधि (एस०डी०एम०एफ०)	केन्द्रांश	353.80	483.90 (100)
	राज्यांश	117.80	161.20 (100)
कुल (एस०डी०आर०एफ० + एस०डी०एम०एफ०)	2,358	2,393.10	2,393.10 (100)

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं विभागीय सूचनाएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 1,249.20 करोड़ की सिफारिश के मुकाबले राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई अनुदान नहीं मिला। जबकि, शहरी स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि की तुलना में भारत सरकार से ₹ 334.31 करोड़ अधिक अनुदान प्राप्त हुआ। स्थानीय निकायों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान जारी न करने से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत, विमुक्त सकल राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक रही और प्राप्त हुई सकल राशि को संबंधित निधि में अंतरित कर दिया गया।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.12 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियाँ (क +ख +ग)	36,735.00	40,473.00	48,325.00	60,314.00	66,164.50
(क) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ख) ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	820.00	28.00	41.49	96.00	115.30
(ग) लोक ऋण प्राप्तियाँ (i+ii)	35,915.00	40,445.00	48,284.00	60,218.00	66,049.20
(i) आंतरिक ऋण	29,412.00	30,918.00	38,129.00	49,546.00	49,549.32
(ii) भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	6,503.00	9,527.00	10,155.00	10,672.00	16,499.88
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
जी०एस०डी०पी०	(-)2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
पूंजीगत प्राप्तियाँ	25.91	10.18	19.40	24.81	9.70
ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	23.23	12.61	19.38	24.72	9.68
आंतरिक ऋण	5.55	5.12	23.32	29.94	0.01
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	408.44	46.50	6.59	5.09	54.61

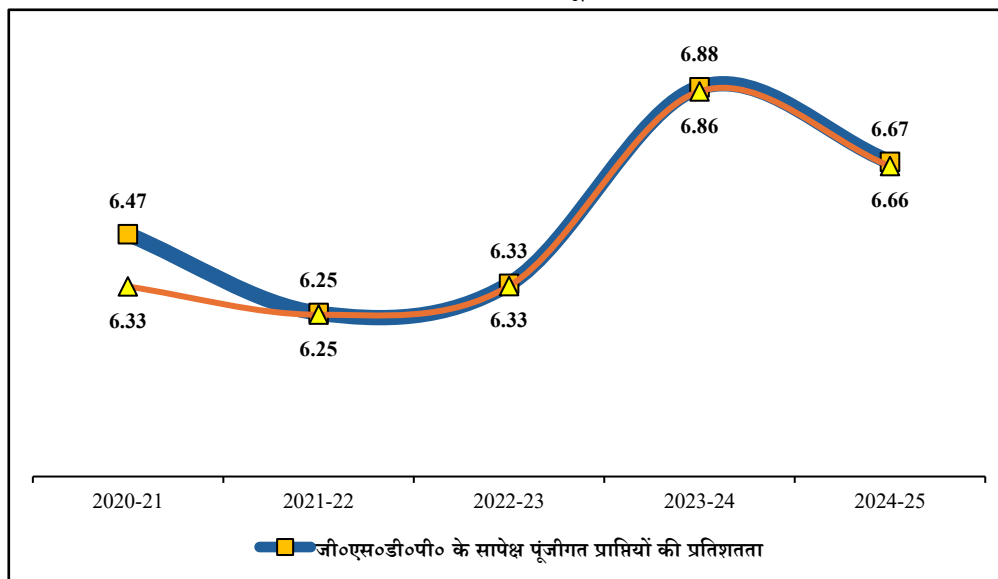
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.12 दर्शाती है कि लोक ऋण प्राप्तियाँ (विशेष रूप से आंतरिक ऋण) पूंजीगत प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा हैं, जबकि पुनर्भुगतान और अन्य स्रोतों का योगदान बहुत कम है। राज्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहा है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए उधार ली गई धनराशि (आंतरिक ऋण) पर अधिक निर्भरता ऋण की संवहनीयता, ब्याज का भार और निवेश की गुणवत्ता से सम्बंधित चिंताएँ उत्पन्न करता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में 54.61 प्रतिशत अधिक रही। विगत पाँच वर्षों के दौरान (वर्ष 2021-22 एवं 2024-25 को छोड़कर) राज्य की ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक रही, जो राज्य की वित्तीय संवहनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

जी०एस०डी०पी० की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत प्राप्तियाँ चार्ट 1.16 में प्रदर्शित की गई हैं।

चार्ट 1.16 : जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष पूंजीगत प्राप्तियों की प्रतिशतता



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक आँकड़े

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राजस्व, घाटे और जी०एस०डी०पी० और वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के वास्तविक आँकड़े तालिका 1.13 में दिए गये हैं।

तालिका 1.13 : पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक	अनुमान	वास्तविक
जी०एस०डी०पी०	6,48,556	5,67,814	5,67,085	6,47,394	6,12,452	7,63,165	6,67,572	8,77,197	7,30,992	9,91,997
राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	44,167	36,543	34,748	38,839	37,980	48,153	41,957	53,618	46,596	59,359
(i) स्व-कर राजस्व	39,406	30,342	30,232	34,855	33,067	44,018	36,557	48,361	40,632	53,578
(ii) गैर-कर राजस्व	4,761	6,201	4,516	3,984	4,913	4,135	5,400	5,257	5,964	5,781
संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी	57,744	59,861	66,241	91,353	73,688	95,510	82,917	1,13,604	94,200	1,29,435
जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा/अधिशेष	-0.1	2.12	-0.50	0.43	-0.80	1.53	-1.20	-0.25	-1.70	0.25
जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा/अधिशेष	4.50	5.32	4.00	4.60	3.50	6.02	3.00	4.15	3.00	4.37

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* (-) अधिशेष को दर्शाता है और (+) घाटे को दर्शाता है

टिप्पणी : संबंधित वर्ष का राजस्व घाटा/अधिशेष तथा राजकोषीय अधिशेष/घाटा को लेखापरीक्षा के उपरांत लिया गया है।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में विभागों के रखरखाव, मरम्मत एवं दैनिक कार्यकलापों से संबंधित व्यय, जिसमें प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय शामिल हैं, सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण तथा परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या वृद्धि से संबंधित होता है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि सम्मिलित होती है, जो समय के साथ वसूल की जाती है। व्यय, जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों के हिस्से का विवरण क्रमशः तालिका 1.14, चार्ट 1.17 एवं चार्ट 1.18 में दिया गया है।

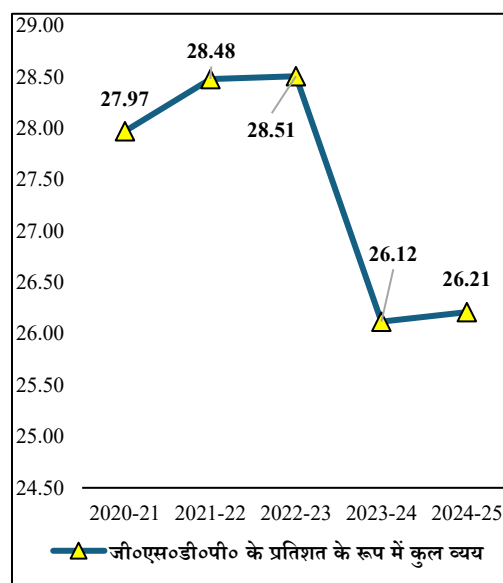
तालिका 1.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

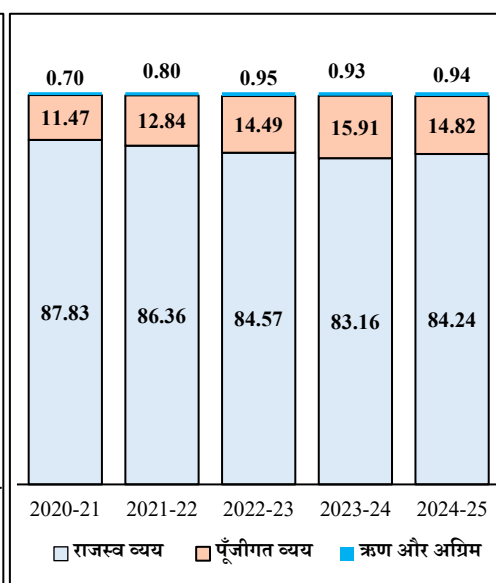
मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05	2,59,995.63
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
ऋण एवं अग्रिम	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38
जी०एस०डी०पी०	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 1.17: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष कुल व्यय की प्रतिशतता



चार्ट 1.18: कुल व्यय में घटकों का हिस्सा (प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की व्यय संरचना में राजस्व व्यय का प्रभुत्व बना हुआ है, जो वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान कुल व्यय का 4/5वें हिस्से से अधिक है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के बाद से पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो परिसंपत्ति निर्माण और विकासात्मक व्यय की दिशा में समग्र सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल ₹ 2,59,995.63 करोड़ के व्यय में से ₹ 29,863.39 करोड़ पास-श्रू लेन-देन से संबंधित थे, जिनमें वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,360.34 करोड़), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 21,217.54 करोड़) तथा अन्य अंतरण/अनुदान (₹ 370.59 करोड़) आदि शामिल हैं।

प्रक्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना तालिका 1.15 में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी को चार्ट 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: प्रक्षेत्रवार कुल व्यय

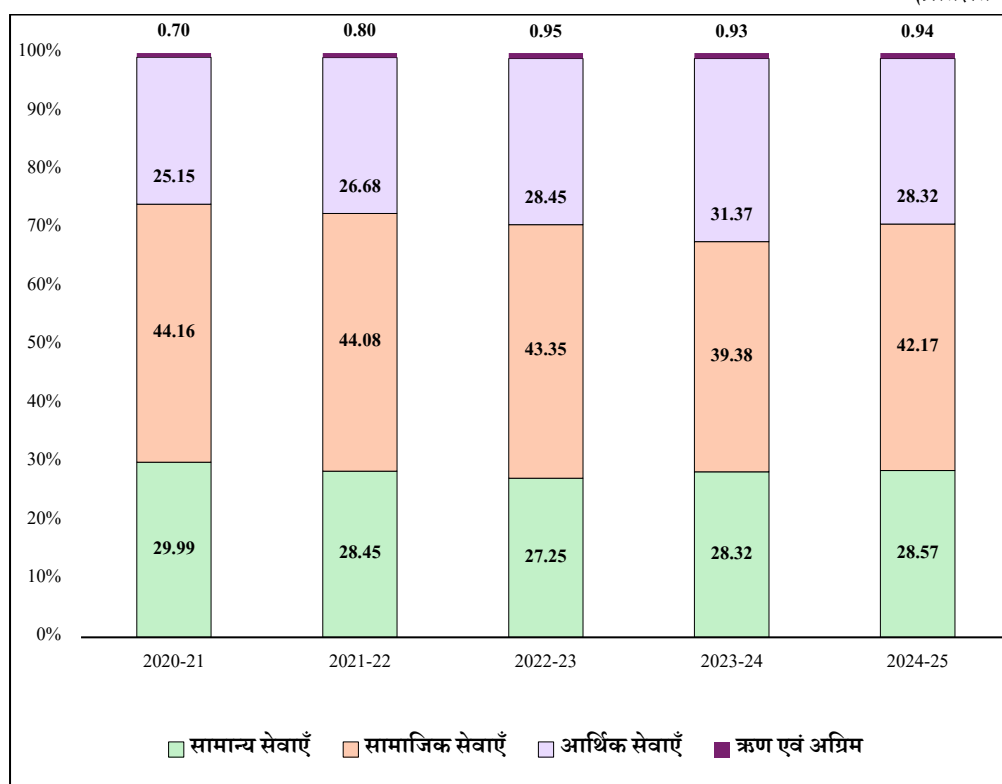
(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	47,626	52,447	59,284	64,882	74,274
सामाजिक सेवाएँ	70,139	81,268	94,316	90,226	1,09,633
आर्थिक सेवाएँ	39,935	49,183	61,896	71,860	73,635
स्थानीय निकायों को अनुदान	1.96	0.32	0.11	-0.13	0.00
ऋण एवं अग्रिम	1,114	1,479	2,057	2,136	2,453

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.19 : कुल व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रभुत्व बना रहा, जो कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं पर सरकार के ध्यान को दर्शाता है। वहीं, आर्थिक सेवाओं में (वर्ष 2024-25 को छोड़कर) निरंतर वृद्धि देखी गई, जो विकासोन्मुख क्षेत्र में बढ़ते निवेश का संकेत देती है। सामान्य सेवाएँ लगभग स्थिर रहीं, जो प्रशासनिक व्ययों की निरंतरता को दर्शाती हैं।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। अतः इसके परिणामस्वरूप राज्य के अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई नई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि, कुल व्यय, जी०एस०डी०पी० और राजस्व प्राप्तियों के साथ इसका अनुपात को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय - बुनियादी मानक

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05	2,59,995.63
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347	2,18,658
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	108.84	100.27	106.54	98.53	100.16
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	87.83	86.36	84.57	83.16	84.24
राजस्व व्यय /जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	24.57	24.59	24.11	21.72	22.08
वर्ष -दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	10.69	14.14	15.55	3.55	14.96
जी०एस०डी०पी० वृद्धि	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 को छोड़कर, राज्य का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहा। यह प्रवृत्ति निरंतर राजस्व घाटे को दर्शाती है तथा यह संकेत देती है कि राज्य अपनी वर्तमान देनदारियों की पूर्ति के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग कर रहा है। यह स्थिति राजकोषीय दबाव एवं सीमित स्व-वित्तपोषण क्षमता के जोखिम को दर्शाता है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 83 प्रतिशत से अधिक बना रहा, जो उच्च उपभोग तथा पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता को दर्शाता है।

क प्रक्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना तालिका 1.17 में दी गई है तथा राजस्व व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी चार्ट 1.20 में दर्शाई गई है। प्रक्षेत्रवार व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.17: प्रक्षेत्रवार राजस्व व्यय

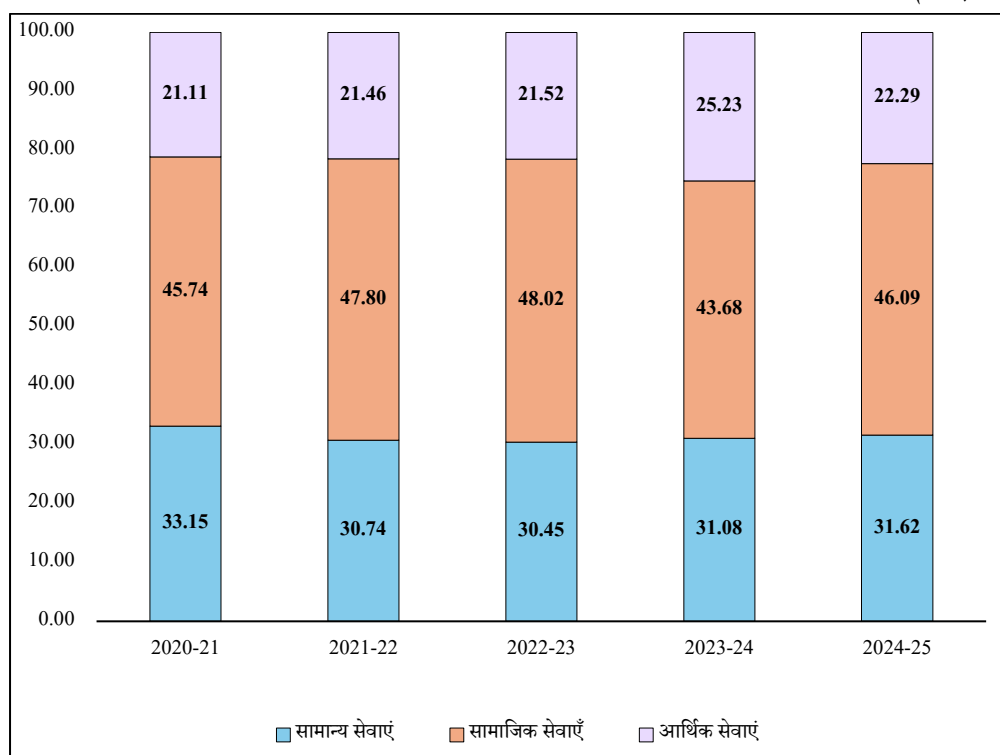
(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	46,239	48,939	56,029	59,218	69,246
सामाजिक सेवाएँ	63,808	76,115	88,349	83,225	1,00,948
आर्थिक सेवाएँ	29,445	34,166	39,598	48,071	48,821
सहायता अनुदान और योगदान	1.96	0.32	0.11	-0.13	0.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 1.20 : राजस्व व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि हाल के वर्षों में इसमें सामाजिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं का वर्चस्व रहा है, जो मिलकर कुल व्यय का कम से कम तीन-चौथाई भाग का उपभोग कर रही हैं। यह राज्य द्वारा कल्याण एवं मानव विकास पर बढ़ते हुए बल को रेखांकित करता है। हालाँकि, इसी के साथ आर्थिक सेवाओं के लिए आवंटन असंगत रहे हैं, जो इस क्षेत्र में कम तथा असमान प्राथमिकता का संकेत देता है।

ख प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के 'प्रतिबद्ध व्यय' जिसमें ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय, और पेंशन शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत होते हैं। सरकारी संसाधनों पर सबसे पहले यही भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है, तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं अन्य व्यय हेतु राजकोषीय संसाधनों की शेष उपलब्धता को चार्ट 1.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

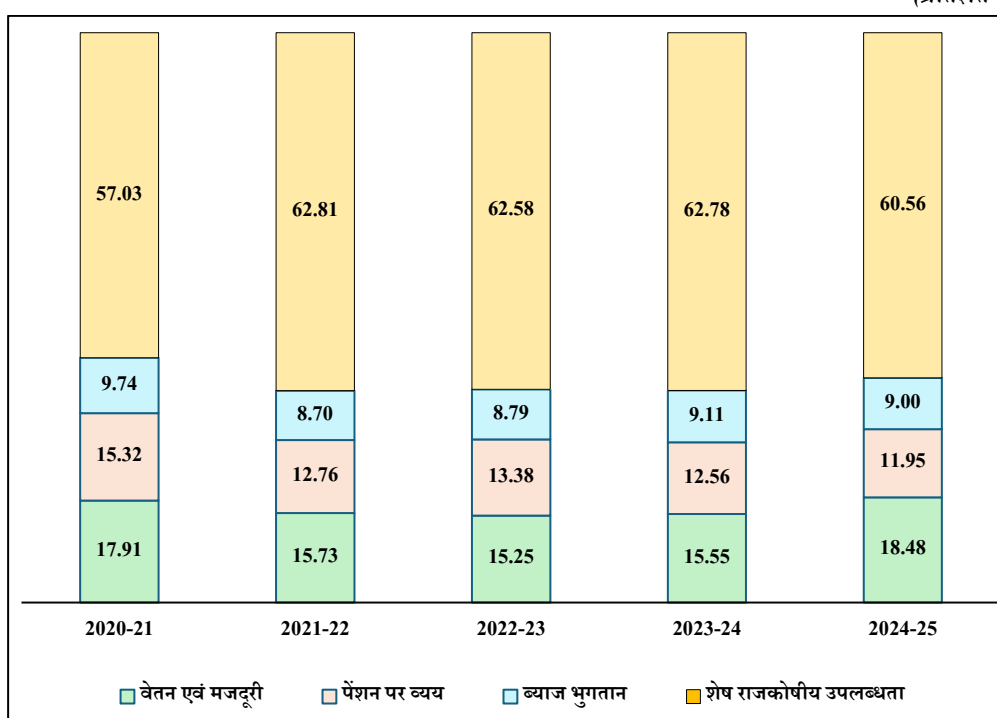
(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन एवं मजदूरी	22,949.17	24,983.79	26,327.56	30,064.25	40,417.89
पेंशन	19,635.15	20,257.58	23,107.87	24,290.92	26,139.61
ब्याज भुगतान	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
कुल	55,068.36	59,063.30	64,618.97	71,960.97	86,235.64
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	39.48	37.10	35.12	37.77	39.37

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं शेष राजकोषीय उपलब्धता

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की प्राप्तियों पर सर्व प्रथम अधिकार प्रतिबद्ध व्यय का होता है। राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति में व्यय हो रहा है, जिससे अतिरिक्त उधारी लिए बिना पूंजीगत व्यय या कल्याणकारी परिव्यय में वृद्धि के लिए सीमित राजकोषीय उपलब्धता शेष रहती है। परिणामस्वरूप, पूंजीगत एवं सामाजिक व्यय की ऋण पर निर्भरता और बढ़ जाती है।

ग सब्सिडी

सब्सिडी विशिष्ट वस्तुओं, सेवाओं या उत्पादन की लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली लक्षित वित्तीय सहायता होती है। इनका उद्देश्य उद्योगों को समर्थन देना या आवश्यक वस्तुओं को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाना है।

विगत वर्ष की तुलना में सब्सिडी में ₹ 2,065.68 करोड़ (12.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा सब्सिडी पर ₹ 2,182.20 करोड़ तथा उद्योगों को दी गई सब्सिडी पर ₹ 72.82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी का विवरण तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	578.77	720.56	629.93	822.24	767.73
2	दुग्ध, मत्स्य पालन और पशु संसाधन	99.67	100.71	163.37	307.39	242.53
3	कृषि	164.30	219.58	496.76	497.77	302.42
4	ऊर्जा	6,759.96	8,180.82	12,223.00	13,160.80	15,343.00
5	उद्योग	234.47	787.07	1,040.42	1,267.08	1,339.90
6	अन्य	330.25	247.28	274.31	189.33	314.71
	कुल सब्सिडी	8,167.42	10,256.02	14,827.79	16,244.61	18,310.29

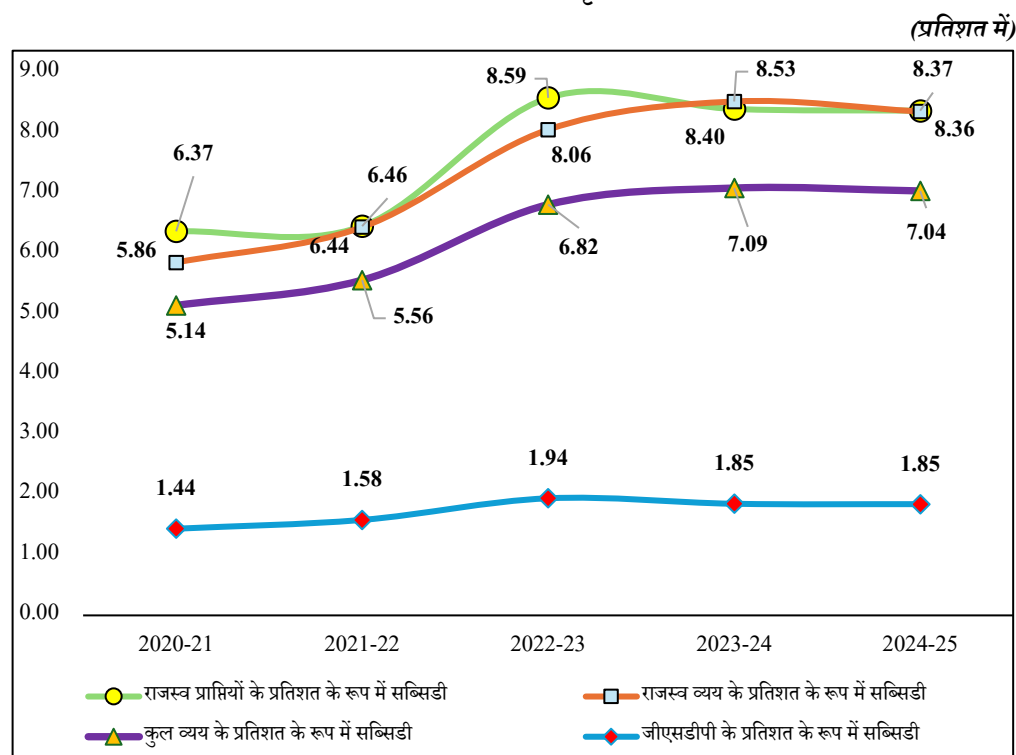
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की कुल सब्सिडी, तीव्र गति से, वर्ष 2020-21 के ₹ 8,167 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 18,310 करोड़ हो गई, जो विगत पाँच वर्षों में 124 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को दर्शाती है। राज्य की सब्सिडी प्रतिबद्धताएँ वर्ष 2020-21 की तुलना में 224 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो जी०एस०डी०पी० (75 प्रतिशत) तथा कुल व्यय (64 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कहीं अधिक है, इससे राजकोषीय दबाव बढ़ा है। कुल सब्सिडी के 4/5वें भाग से अधिक उपभोग के साथ सकल सब्सिडी प्राप्तियों पर ऊर्जा विभाग का भारी वर्चस्व बना रहा। विगत पाँच वर्षों में ऊर्जा सब्सिडी में ₹ 8,583 करोड़ (127 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सब्सिडी में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति राजकोषीय अनम्यता को बढ़ाती है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है तथा ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। युक्तिसंगत एवं प्रदर्शन-आधारित लक्ष्य निर्धारण के अभाव में, सब्सिडी राजकोषीय संसाधनों पर संरचनात्मक भार का जोखिम पैदा करता है।

राजकोषीय मानकों के सापेक्ष सब्सिडी की प्रवृत्ति का विश्लेषण चार्ट 1.22 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.22: सब्सिडी का प्रवृत्ति विश्लेषण



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, कुल व्यय और जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में वृद्धि के पश्चात स्थिर रहीं अथवा मामूली गिरावट आई।

वर्ष 2024-25 में सब्सिडी के लिए ₹ 11,654.92 करोड़ के मूल बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर ₹ 19,133.78 करोड़ किया गया। इसके विरुद्ध वर्ष 2024-25 में सब्सिडी पर ₹ 18,310.29 करोड़ का व्यय किया गया, जो मूल प्रावधान की तुलना में ₹ 6,655.37 करोड़ की कुल वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं/विभागों के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: प्रमुख योजनाओं/विभागों के तहत सब्सिडी पर बजट के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना/विभाग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अभ्यर्पण	व्यय
ऊर्जा विभाग (बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड)	9000.00	6343.00	0.00	15,342.99
उत्पादन पूर्व तथा उत्पादनोपरांत सुविधाओं के लिए योजना	497.53	274.50*	0.00	772.02
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	309.01	475.18	15.85	740.81
बिहार लघु उद्यम योजना	78.00	117.00	0.00	195.00
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	121.90	0.00	0.00	121.90

योजना/विभाग का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अभ्यर्पण	व्यय
मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना	121.90	0.00	0.00	121.90
गुणवत्तापूर्ण बीज फार्मों के विस्तार के लिए सब्सिडी	117.91	11.79	6.21	113.64
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना	25.20	67.20	0.00	92.40
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	28.25	33.62	0.00	61.87
कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना	94.99	0.00	28.60	58.28
अन्य	1,260.23	156.57	139.27	689.48
कुल	11,654.92	7,478.86	189.93	18,310.29

स्रोत: विनियोग लेखे 2024-25

* ₹ 0.50 करोड़ का पुनर्विनियोग शामिल है

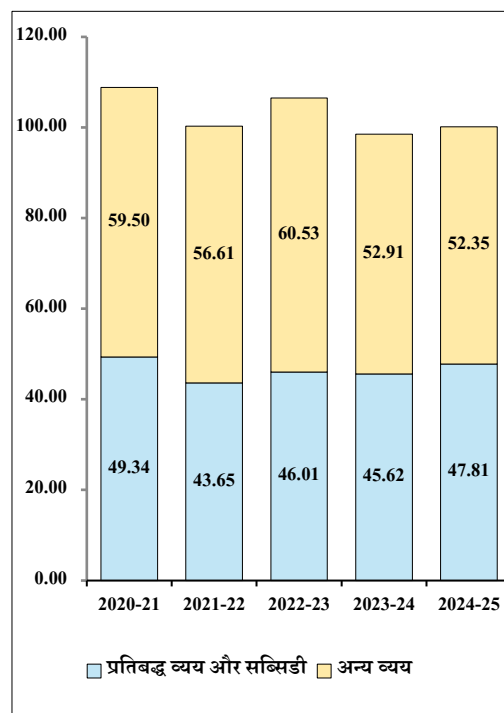
राजकोषीय संवहनीयता बनाए रखने के लिए, राज्य की सब्सिडी योजनाओं के लक्षित वितरण, नियमित समीक्षा और युक्तिसंगत बनाने जैसे उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

घ प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी से राजकोषीय दबाव

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी को संयुक्त रूप से चार्ट 1.23 एवं चार्ट 1.24 में दर्शाया गया है।

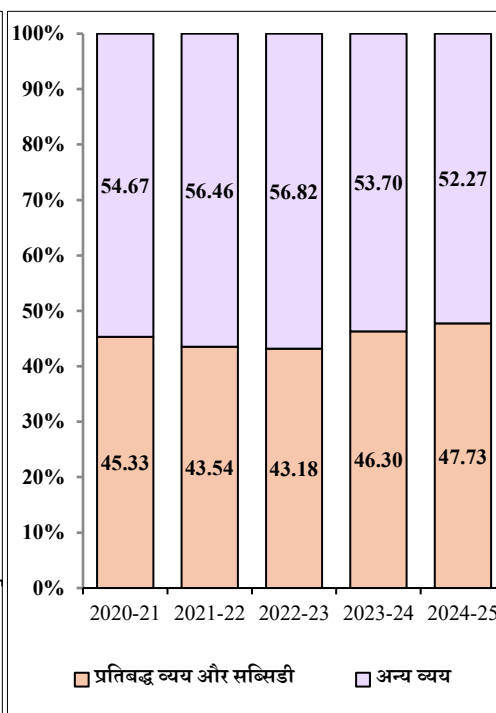
चार्ट 1.23:

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी



चार्ट 1.24:

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राजस्व प्राप्तियों का 43 से 48 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राजस्व व्यय का 43 से 48 प्रतिशत रहा।

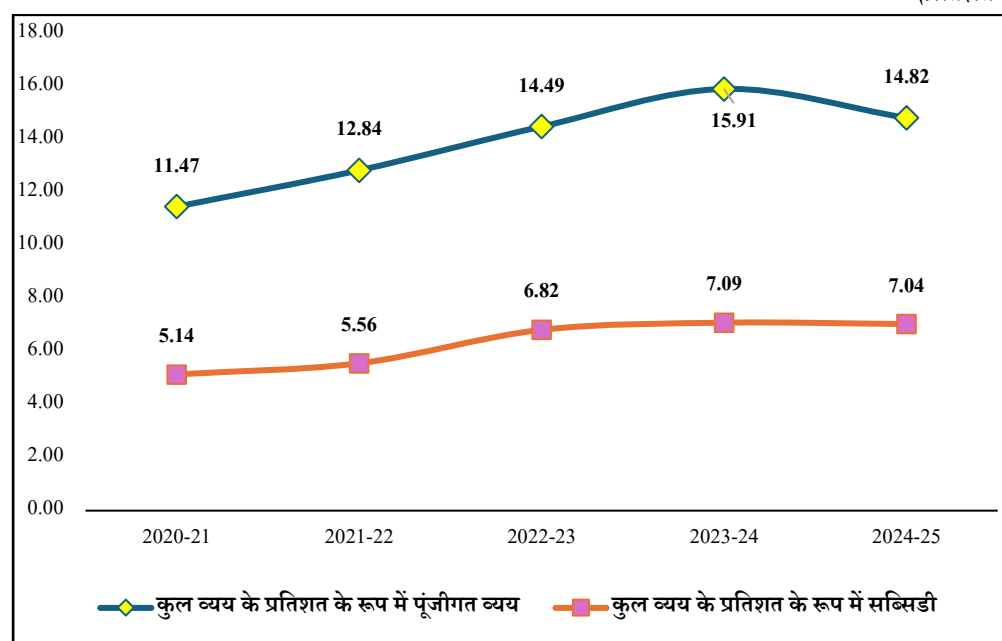
वर्ष 2024-25 में राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 86,236 करोड़ रहा, जिसमें वेतन (₹ 40,417.89 करोड़), पेंशन (₹ 26,139.61 करोड़) तथा ब्याज भुगतान (₹ 19,678.14 करोड़) शामिल थे, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39.44 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी ₹ 18,310.29 करोड़ रही, जिससे कुल अनम्य व्यय ₹ 1,04,546 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47.81 प्रतिशत था।

इस प्रकार के व्यय की अनम्य प्रकृति राजकोषीय उपलब्धता को उल्लेखनीय रूप से संकुचित कर देती है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं हेतु संसाधनों में आवंटन से राज्य की क्षमता सीमित होती है। यह संरचनात्मक असंतुलन निरंतर राजस्व एवं प्राथमिक घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयता को बाधित करता है तथा उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के प्रति सरकार की प्रत्युत्तर क्षमता को कम करता है।

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय एवं सब्सिडी की प्रवृत्ति चार्ट 1.25 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.25: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय और सब्सिडी

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.25 का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 2020-21 के 11.47 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 15.91 प्रतिशत हो गई, जो परिसंपत्ति निर्माण की ओर एक क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है, लेकिन 2024-25 में यह घटकर 14.82 प्रतिशत रह गई। इसी समय, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 5.14 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 7.09 प्रतिशत हो गई और 2024-25 में 7.04 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही, जो राजस्व-उन्मुख व्यय के बढ़ते दबाव का संकेत देती है।

इ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का विवरण तालिका 1.21 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.21: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थान	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	4,785.08	5,386.53	4,990.73	6,952.16	8,035.48
नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	2,100.49	2,551.78	1,878.90	3,418.53	4,086.88
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	12,899.38	13,268.40	14,474.20	16,754.97	15,473.26
पंचायती राज संस्थाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	686.90	2,607.05	2,080.79	3,987.70	3,453.59
योग (क)	17,684.46	18,654.93	19,464.93	23,707.13	23,508.74
(ख) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	3,716.00	3,684.25	4,331.84	4,120.34	7,708.00
विकास प्राधिकरण	999.15	1,693.64	1,388.63	1,267.63	1,671.15
अन्य संस्थान	32,529.37	40,982.19	54,755.48	48,505.38	47,063.40
योग (ख)	37,244.52	46,360.08	60,475.95	53,893.35	56,442.55
महायोग (क + ख)	54,928.98	65,015.01	79,940.88	77,600.48	79,951.29
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	10,273.35	14,083.39	20,019.34	19,145.79	15,963.38
राजस्व व्यय	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17	2,19,015.21
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	39.38	40.83	43.45	40.73	36.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

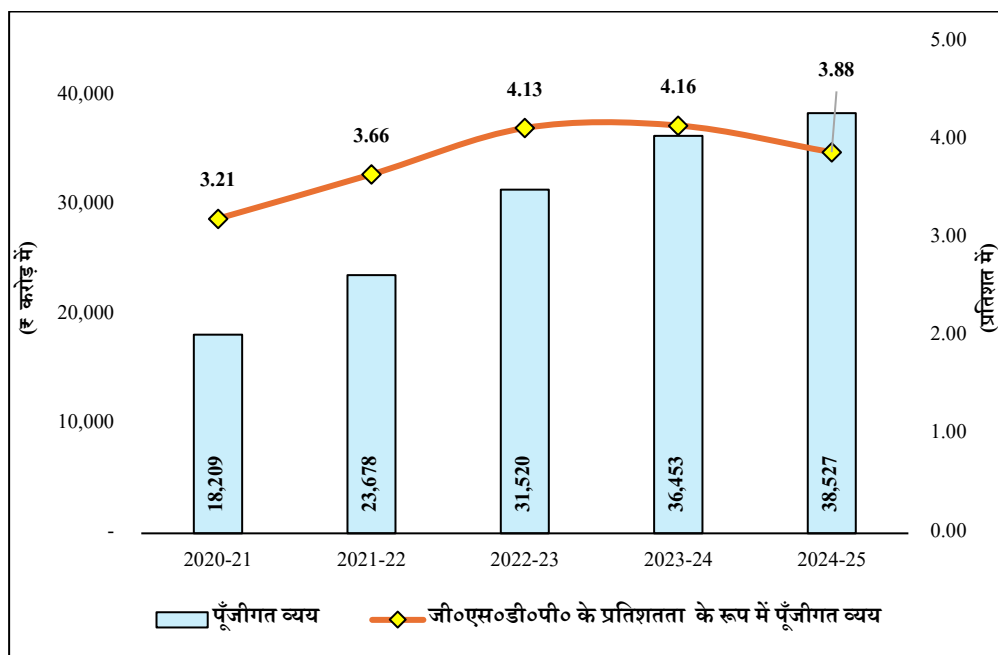
वर्तमान वर्ष के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,350.81 करोड़ (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों तथा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को दी गई सहायता में बढ़ोतरी के कारण हुई। स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, राजस्व व्यय का औसतन लगभग 40 प्रतिशत रही। वित्तीय सहायता में कुल वृद्धि शिक्षा एवं नगरीय विकास के लिए बढ़ते समर्थन को दर्शाती है।

दक्षता संवर्धन के लिए राज्य को परिणाम-आधारित एवं पूंजीगत उन्मुख सहायता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा स्थानीय राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि अनुदान से लम्बी अवधि तक सेवा प्रदान किया जा सके और राजकोषीय दबाव में कमी को सुनिश्चित किया जा सके।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों, जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों/गैर-बजट उधारियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 1.26 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.26: राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 38,527.04 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 15,963.38 करोड़ अंतरित किए। इसके अतिरिक्त, ऋण प्राप्ति की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 58.33 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि उधार ली गई राशि आनुपातिक रूप से अवसंरचनात्मक विकास में परिवर्तित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 20.61 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में इसमें 2024-25 में हल्की गिरावट से पूर्व निरंतर वृद्धि का रुझान रहा। यह दर्शाता है कि राज्य का पूंजीगत व्यय जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर से अधिक रहा तथा दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन को प्राथमिकता दी गई। इसी अवधि के दौरान कुल व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय की भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई (परिशिष्ट 1.4)।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 2020-25 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाई गई राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य के लोक लेखा में रखा गया था (संदर्भ: कंडिका 3.6.2)। वर्ष 2024-25 के दौरान भी, पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाए गए ₹ 13,920.16 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 36.13 प्रतिशत) को लोक लेखा में अंतरण किया गया था।

इन अनुदानों से प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों को अधिकतम करने के लिए निधियों की समय पर विमुक्ति तथा उपयोग सुनिश्चित करना, एवं व्यय को परिसंपत्ति-निर्माण के उद्देश्यों के साथ सख्ती से सरेखित करना आवश्यक है।

क प्रक्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की प्रक्षेत्रवार संरचना तालिका 1.22 में दी गई है। विस्तृत प्रक्षेत्र-वार व्यय परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

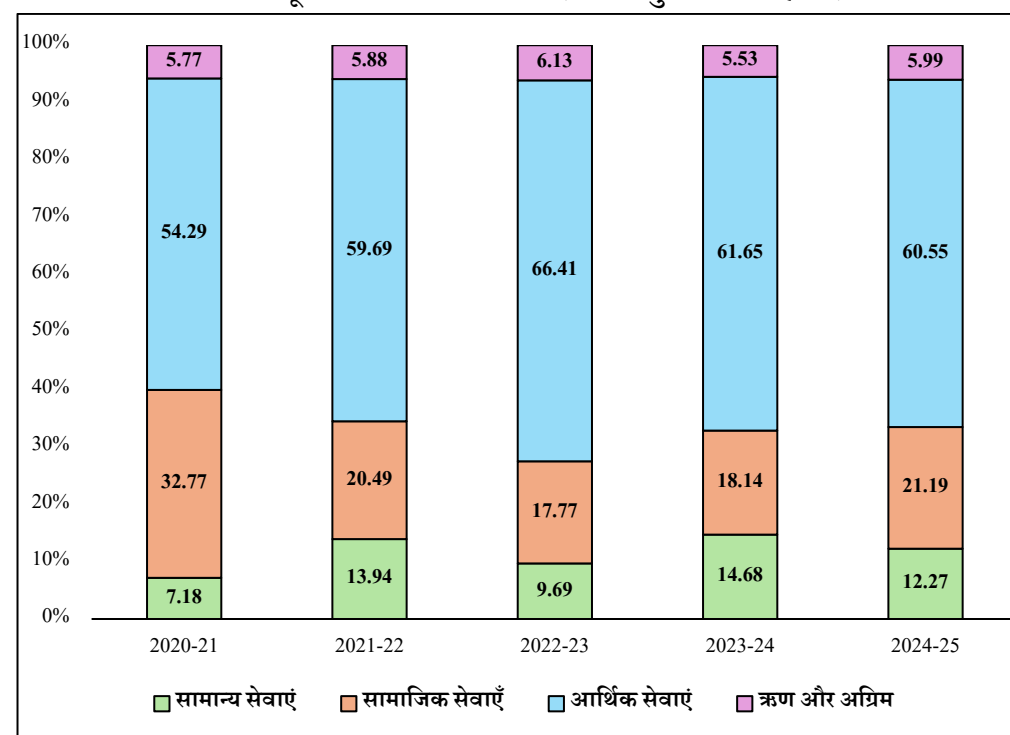
तालिका 1.22: प्रक्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मानक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	1,386.50	3,507.49	3,254.88	5,664.41	5,027.89
सामाजिक सेवाएँ	6,331.52	5,153.72	5,967.30	7,000.43	8,684.70
आर्थिक सेवाएँ	10,490.58	15,017.08	22,297.64	23,788.16	24,814.44
ऋण एवं अग्रिम	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.27: पूंजीगत व्यय में विभिन्न प्रक्षेत्रों की तुलनात्मक हिस्सेदारी



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान बिहार के पूंजीगत व्यय में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 54.29 प्रतिशत से बढ़कर 66.41 प्रतिशत तक हो गई, जो अवसंरचना-आधारित विकास पर केंद्रित नीति को दर्शाती है परंतु, वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी घटकर वर्ष 2024-25 में 60.55 प्रतिशत रह गई, जिसका कारण व्यय का सामाजिक सेवाओं की ओर झुकाव रहा। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2022-23 के 17.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 21.19 प्रतिशत हो गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वर्ष 2024-25 में 'विद्युत परियोजनाएँ', 'नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा', 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य', 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण' तथा 'पर्यटन' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इसके विपरीत, 'बाढ़ नियंत्रण परियोजना', 'ग्राम एवं लघु उद्योग' तथा 'अन्य परिवहन सेवाएँ' के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में कमी दर्ज की गई।

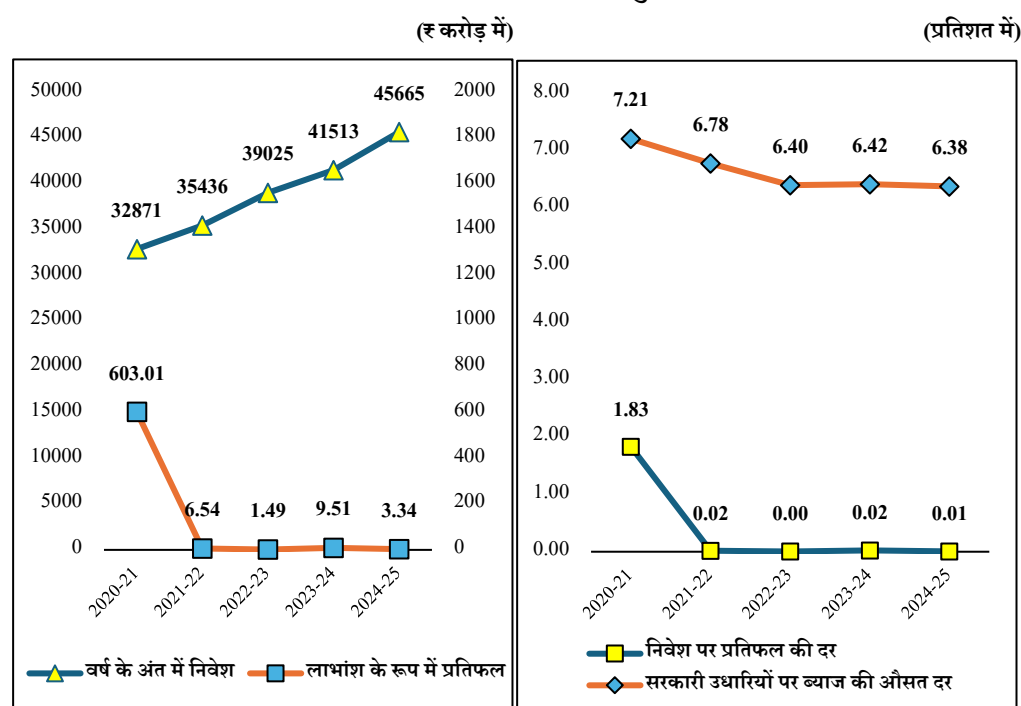
ख कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार का कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में कुल निवेश ₹ 45,665.22 करोड़ रहा, जिसमें सरकारी कंपनियाँ (₹ 42,263.19 करोड़), सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकाय (₹ 659.83 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 105.63 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ एवं साझेदारियाँ (₹ 2,606.38 करोड़) तथा ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश की प्रवृत्ति तथा उन पर मिलने वाले प्रतिफल की स्थिति चार्ट 1.28 में दर्शाई गई है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल दर की तुलना उधारों पर ब्याज की औसत दर से चार्ट 1.29 में प्रदर्शित की गई है।

चार्ट 1.28: निवेश और प्रतिफल

चार्ट 1.29: सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर की तुलना में निवेश पर प्रतिफल की दर



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त प्रतिफल ₹ 3.34 करोड़⁹(0.01 प्रतिशत) रहा (यह ऐतिहासिक लागत के आधार पर है, न कि शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर)। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान प्रतिफल दर केवल 0.01 प्रतिशत से 0.02 प्रतिशत के बीच रहा। यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 46 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा०सा०क्षे०उ०) में ₹ 42,263.19 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसमें 24 गैर-कार्यरत रा०सा०क्षे०उ० में ₹ 17,137.61 करोड़ का निवेश शामिल है। 22 कार्यरत रा०सा०क्षे०उ० में से केवल एक रा०सा०क्षे०उ० (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) ने वित्तीय वर्ष

⁹ सरकारी कंपनियाँ (₹ 1.05 करोड़) तथा सहकारी संस्थाएँ और स्थानीय निकाय (₹ 2.29 करोड़)।

2024-25 के दौरान ₹ 1.05 करोड़ का लाभांश दिया, जो राज्य द्वारा किए गए कुल निवेश का मात्र 0.002 प्रतिशत था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य ने विभिन्न कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में ₹ 4,152.24 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इसमें से ₹ 3,991.60¹⁰ करोड़ का निवेश तीन घाटे में चल रहे रा०सा०क्षे०उ० में किया गया।

घाटे में चल रहे एवं अ-कार्यरत रा०सा०क्षे०उ० की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा, रणनीतिक विनिवेश, पुनर्गठन या आवश्यकतानुसार बंद करने पर विचार करना तथा लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों से अनिवार्य लाभांश घोषणा सुनिश्चित करना, संसाधन संकलन को सुदृढ़ करने एवं राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

ग लाभांश नीति का अभाव और उसका प्रभाव

लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों से न्यूनतम प्रतिफल अनिवार्य करने वाली एक सुस्पष्ट लाभांश नीति, राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन पर निगरानी को बढ़ाती है। राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए न तो कोई लाभांश नीति बनाई है और न ही उसे लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा किए गए बड़े अंशपूंजी निवेश पर निरंतर न्यून प्रतिफल (निवेश का मात्र 0.002 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है, जिससे गैर-कर राजस्व सृजन की संभावनाएँ प्रभावित हुई हैं।

घ राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.23 में 31 मार्च 2025 तक, बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.23: वर्ष 2020-25 के दौरान वितरित एवं वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57
वर्ष के दौरान दी गई राशि	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86	2,453.38
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	820.43	27.92	41.49	95.93	115.30
बकाया ऋणों का अंत शेष	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57	29,587.65
निवल वृद्धि	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.92	2,338.08
प्राप्त ब्याज	3.90	5.68	8.65	269.41	1.93

¹⁰ बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (₹ 105 करोड़), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड (₹ 3,881.60 करोड़) तथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (₹ 5 करोड़)।

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	आंकलनीय नहीं *				
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
प्राप्त ब्याज की दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर (प्रतिशत)	आंकलनीय नहीं				

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* राज्य ने अपने द्वारा दिए गए सभी ऋणों एवं अग्रिमों के लिए ब्याज दरों से संबंधित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है और न ही इससे संबंधित जानकारी प्रदान की है।

प्रत्येक वर्ष की गई वसूली कुल बकाया ऋणों की तुलना में अत्यंत कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप अप्राप्त अग्रिम लगातार बढ़ते गये हैं। इसके अतिरिक्त, इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज नगण्य है, जो यह संकेत करता है कि ऋण या तो अल्प-प्रदर्शनकारी/अकार्यशील हैं, या रियायती दरों पर पर्याप्त वसूली तंत्र के बिना दिए गए हैं, अथवा समय पर ब्याज उपार्जन नहीं किया गया है। इसी अवधि में सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर, राज्य द्वारा अपने ऋणों पर अर्जित प्रतिफल की तुलना में काफी अधिक है।

राज्य का ऋण पोर्टफोलियो राजकोषीय अक्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसमें बढ़ते अग्रिम, कमजोर वसूली तथा नगण्य प्रतिफल शामिल हैं। स्पष्ट ब्याज नीति एवं प्रभावी निगरानी प्रणाली के अभाव में जवाबदेही प्रभावित होती है तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ता है। राजकोषीय उपलब्धता के क्षरण को रोकने तथा समग्र वित्तीय अनुशासन में सुधार के लिए ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा विवेकपूर्ण ऋण वितरण मानकों को लागू करना अत्यावश्यक है।

इ अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा राज्य को इन परियोजनाओं से अपेक्षित लाभों से दीर्घ अवधि तक वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वर्षों के दौरान ली गई उधारी से, ऋण शोधन एवं ब्याज देनदारियों के रूप में अतिरिक्त भार उत्पन्न होता है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 1.24 में दर्शाया गया है (वित्त वर्ष 2024-25 के वित्त लेखों के परिशिष्ट-IX के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं की समयावधि विश्लेषण				31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार समयावधि विश्लेषण			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2025 तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2025 तक)
2013-14	1	2.37	0.21	जल संसाधन	124	4,951.11	402.95
2014-15	0	शून्य	शून्य	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	95	340.01	20.03
2015-16	0	शून्य	शून्य	भवन निर्माण	134	1,675.98	375.03
2016-17	2	99.80	0.72	सड़क निर्माण	21	1,076.37	242.19
2017-18	5	536.60	52.20	ग्रामीण कार्य	83	351.85	103.54
2018-19	3	84.09	4.77	योजना एवं विकास	309	865.36	281.28
2019-20	13	535.84	18.97				
2020-21	24	84.88	5.66				
2021-22	9	41.54	26.79				
2022-23	10	924.24	99.55				
2023-24	35	1,474.46	190.92				
2024-25	664	5,476.86	1,025.22				
कुल	766	9,260.68	1,425.02	कुल	766	9,260.68	1,425.02

स्रोत: वित्त लेख 2024-25

इन 766 चालू परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹ 9,260.68 करोड़ थी, जिन पर वर्ष 2024-25 तक ₹ 1,425.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। अतः इन 766 परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण ₹ 1,425.02 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा। इन 766 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ (जिन पर ₹ 76.87 करोड़ का व्यय किया गया था) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी थीं। योजना एवं विकास विभाग में अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या सर्वाधिक थी, जबकि अधिकतम व्यय वाली परियोजनाएँ जल संसाधन एवं भवन निर्माण विभागों से संबंधित थीं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्त लेख के **परिशिष्ट-IX** (सरकार की प्रतिबद्धताएँ-अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची) में उपलब्ध अपूर्ण जानकारी के कारण लेखापरीक्षा 31 मार्च 2025 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतानों (भविष्य देयता) की स्थिति तथा संशोधित लागत (यदि कोई हो) का निर्धारण नहीं किया जा सका।

परियोजनाओं में विलंब सामान्यतः भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ एवं वाद, निधि का अपर्याप्त या विलंबित विमुक्तिकरण, खराब परियोजना नियोजन एवं कमजोर अनुबंध प्रबंधन, क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय, परियोजना के दायरे या डिजाइन में परिवर्तन तथा संवेदकों के प्रदर्शन संबंधी समस्याओं आदि के कारण होता है।

परियोजनाओं की पूर्णता में सतत विलंब न केवल अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभों को टालता है, बल्कि पूंजीगत उत्पादकता को भी कमजोर करता है तथा परिहार्य वित्तीय भार उत्पन्न करता है।

1.3 आकस्मिकता निधि

बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करना है, जिसका अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा लंबित रहने की स्थिति में दिया जाता है। अतिरिक्त व्यय को विधायिका द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात इस निधि का पुनर्भरण किया जाता है। इस निधि की अधिकृत कोष राशि ₹ 350 करोड़ है।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न बजटीय शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,650 करोड़ आकस्मिकता निधि से आहरित किए गए, जिनमें से ₹ 3.68 करोड़ गैर-आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु आहरित किए गए, जो उस सीमा तक निधि के उद्देश्यों के विपरीत था (कंडिका 2.14.1)। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 9,650 करोड़ की संपूर्ण राशि पुनर्भरित कर दी गई। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता निधि में ₹ 350 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी।

1.4 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं है, उनसे संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं तथा ये राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं होते। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि एक निधि के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे के निवल शेष को घटक-वार तालिका 1.25 में दिया गया है।

तालिका 1.25: लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष

		(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	166.29	76.28	-124.77	-255.76	-513.06
आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधि	378.12	140.42	1,585.11	1,222.72	1,647.20
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	-26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	-75.05	-57.17	40.52	-247.91	1,290.57
	(ख) ब्याज रहित जमा	4,336.01	-1,543.24	363.64	1,476.52	2,689.89
	(ग) अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उंचंत एवं विविध	(क) उंचंत (सिविल)	-4,879.88	-238.38	1,199.82	8,804.89	3,547.04
	(ख) अन्य लेखे	-191.23	-4,148.08	7,961.19	-12,655.59	-11,304.45
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	-	-	-	-	0.00
प्रेषण	(क) धनादेश, एवं अन्य प्रेषण	4.37	-7.53	0.00	-2.36	-0.11
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखा	794.07	0.00	0.00	-0.01	0.01
	कुल	506.37	-5,777.71	11,025.51	-1,657.51	-2,642.91

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

नोट: धनात्मक आंकड़े नामे शेष को दर्शाते हैं और ऋणात्मक आंकड़े जमा शेष को दर्शाते हैं।

वित्त वर्ष में, लोक लेखा के विभिन्न क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के तहत निवल ऋणात्मक शेष इन शीर्षों के तहत प्राप्तियों पर संवितरण की अधिकता को दर्शाता है, जबकि इन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के तहत धनात्मक शेष प्राप्तियों की तुलना में कम संवितरण दर्शाते हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती हैं। इन निधियों का गठन संचित निधि से अंशदान या अनुदान अथवा बाहरी एजेंसियों से प्राप्त राशि के माध्यम से किया जाता है। इसमें ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक ब्याज सहित तीन आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज रहित एक आरक्षित निधि विद्यमान थीं। इन आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2025 को उपलब्ध शेष राशि का विवरण तालिका 1.26 में दिया गया है।

तालिका 1.26: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आरक्षित निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	ब्याज प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष राशि
क	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	3,849.31	2,734.57	89.35	1,087.37	5,496.51
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04	1,830.51	82.51	876.21	3,754.34
2	राज्य प्रतिपूरक बनीकरण निधि	289.47	252.11	0.00	29.60	511.98
3	राज्य आपदा शमन निधि	759.80	651.95	6.84	181.56	1,230.19
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	8,494.66	1,645.86	2519.69	0.00	10,140.52
1	निक्षेप निधि	8,494.66	1,645.86	2519.69	0.00	10,140.52
	कुल योग	12,343.97	4,380.43	2609.04	1,087.37	15,637.03

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.4.3 नकद शेष

अनुबंध के अनुसार राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 1.73 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है, तो इस कमी की पूर्ति अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट लेकर की जाती है। राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2022 से यह तय सीमा ₹ 2,272.00 करोड़ थी।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष, जिसमें नामित आरक्षित निधियों की राशि भी शामिल है, का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार विपत्रों में करती है। इन निवेशों से प्राप्त आय '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाती है।

जब राज्य सरकार के पास वृहत मात्रा में अप्रयुक्त नकद शेष राशि उपलब्ध हो, तब बाजार ऋण लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के स्थान पर निधियाँ निष्क्रिय पड़ी रहती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नकद शेष एवं इसके निवेश का विवरण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: नकद शेष एवं उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
(क) सामान्य नकद शेष		
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा	726.68	966.80
नकद शेष निवेश खाते में रखे गए निवेश	26,762.09	39,132.93
योग (क)	27,488.77	40,099.73
(ख) अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा: वन तथा लोक निर्माण के पास नकद	233.22	233.22
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम	765.53	765.10
चिह्नित निधियों का निवेश	8,494.66	10,140.52
योग (ख)	9,493.41	11,138.84
महायोग (क + ख)	36,982.18	51,238.57
ब्याज प्राप्ति	264.34	913.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में, वित्त लेखे में दर्शाए गए 'आरबीआई के पास जमा' के आंकड़ों (₹ 966.80 करोड़ – नामे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 18.95 करोड़ – जमा¹¹) के बीच ₹ 947.85 करोड़ (नामे¹²) का अंतर था। यह अंतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच समाशोधन के अधीन है।

राज्य सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी 'अर्थोपाय अग्रिम' का उपयोग किए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ न्यूनतम नकद शेष बनाए रखा।

विगत पांच वर्षों के दौरान 'नकद शेष निवेश खाते' का विवरण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022-23	22,070.25	14,069.82	-8,000.43	276.23
2023-24	14,069.82	26,762.09	12,692.27	264.34
2024-25	26,762.09	39,132.93	12,370.84	913.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

31 मार्च 2025 की तक राज्य ने अपने नकद शेष में से ₹ 39,132.93 करोड़ का निवेश किया, जिसमें ₹ 39,128.28 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में तथा ₹ 4.65 करोड़ अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों

¹¹ भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा शेष यह दर्शाता है कि लेखा अवधि के दौरान राज्य द्वारा आहरित की गई राशि की तुलना में अधिक नकद राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रही।

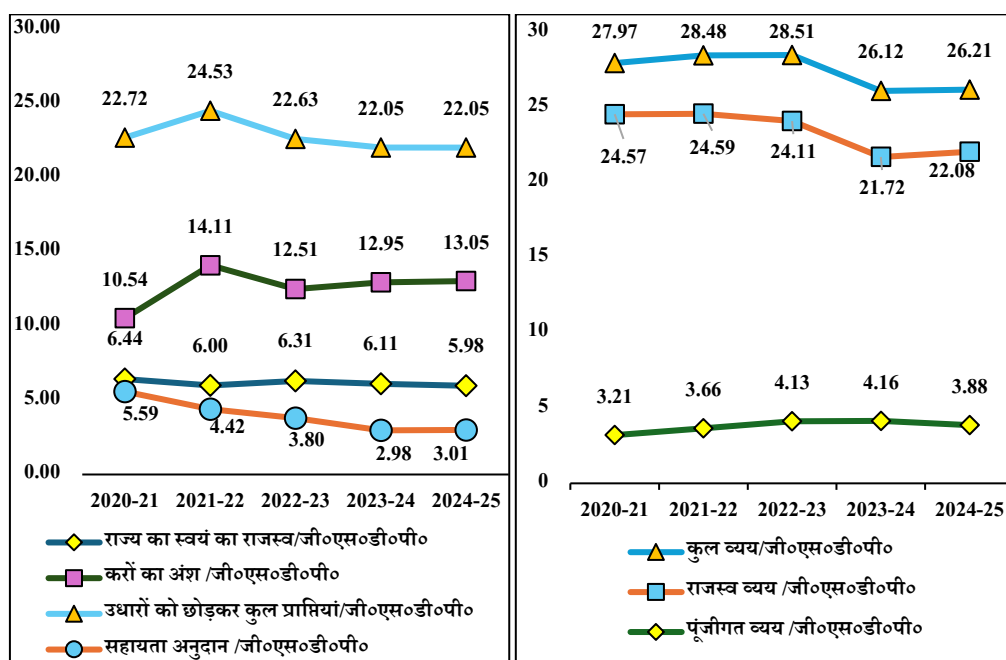
¹² लेखांकन वर्ष के दौरान नकद बहिर्गमन नकद अंतःप्रवाह से अधिक रहा।

में निवेशित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान नकद शेष निवेश खाता में किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज ₹ 913.46 करोड़ था।

1.5 राजकोषीय संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता से आशय सरकार की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वह अपने राजस्व एवं व्यय का इस प्रकार प्रबंधन कर सके कि वह वर्तमान एवं भविष्य की प्रतिबद्धताओं (जैसे लोक सेवाएँ, अवसंरचना तथा ऋण पुनर्भुगतान) को अत्यधिक उधारी लिए बिना या अस्थिर ऋण भार संग्रहित किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकाल में राजस्व सृजन एवं व्यय के बीच संतुलित और स्थिर व्यवस्था बनाए रखने से है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान बिहार सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशतता के रूप में क्रमशः चार्ट 1.30 एवं चार्ट 1.31 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.30: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्राप्तियों की प्रतिशतता **चार्ट 1.31: जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता**



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

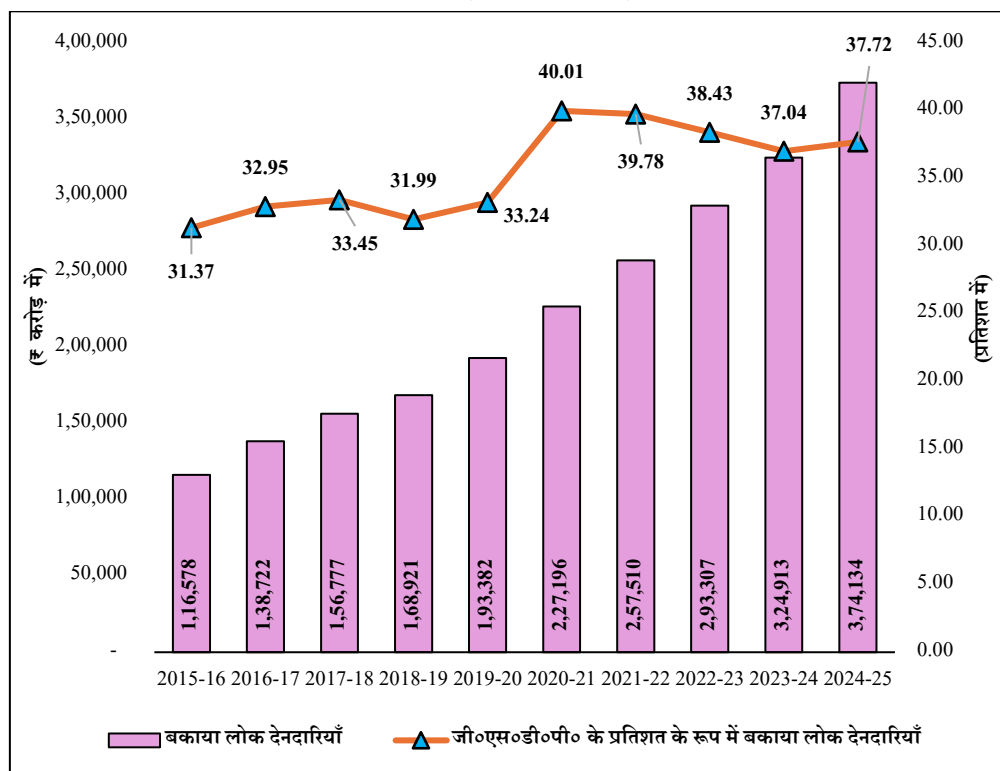
चार्ट 1.30 से स्पष्ट होता है कि राज्य के स्वयं के राजस्व का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात लगभग छह प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा, जो राजस्व संग्रहण में सीमित सुधार को दर्शाता है। वहीं, महामारी के बाद संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जो केंद्रीय अंतरणों पर राज्य की निरंतर निर्भरता को इंगित करती है। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान में लगातार गिरावट देखी गई।

व्यय के सन्दर्भ में, चार्ट 1.31 दर्शाता है कि कुल व्यय तथा राजस्व व्यय का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात वर्ष 2022-23 में उच्चतम स्तर पर था, तत्पश्चात इसमें गिरावट आई, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को परिलक्षित करता है। जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय अनुपात क्रमिक रूप से सुधरा, यद्यपि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच यह लगभग तीन से चार प्रतिशत के स्तर पर बना रहा।

1.5.1 लोक दायित्व प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए जी०एस०डी०पी० में उनके प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देनदारियों को चार्ट 1.32 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.32: बकाया लोक देनदारियाँ एवं उनका जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष प्रतिशत



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

टिप्पणी 1: बकाया लोक देनदारियों से आशय बकाया लोक ऋण एवं लोक लेखा देनदारियों से है।

टिप्पणी 2: वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, कुल देनदारियों में क्रमशः ₹ 3,905.00 करोड़ एवं ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०डी० क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०डी० के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।

चार्ट 1.32 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक बकाया लोक देनदारियों में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, राज्य के जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में इनका उच्चतम स्तर वर्ष 2020-21 में 40.01 प्रतिशत रहा। इसके पश्चात इनमें निरंतर गिरावट दर्ज की गई और वर्ष 2024-25 में घटकर यह 37.72 प्रतिशत रह गई।

1.5.1.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की सकल देनदारियों में सामान्यतः राज्य का आंतरिक ऋण (जैसे बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देनदारियाँ शामिल होती हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की पाँच-वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की देनदारियों की घटक-वार प्रवृत्ति तालिका 1.29 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.29: घटक-वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय दायित्व के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया सकल देनदारियाँ (i+ii)	2,27,195.51	2,57,510.21	2,93,307.17	3,24,913.39	3,74,133.50
(i) लोक ऋण	1,77,214.85	2,08,913.28	2,42,845.73	2,72,256.38	3,16,361.90
(क) आंतरिक ऋण	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10	2,36,205.16	2,65,142.06
(ख) भारत सरकार से ऋण*	17,657.35	26,057.96	34,747.63	36,051.22	51,219.84
(ii) लोक लेखा देयताएं	49,980.66	48,596.93	50,461.44	52,657.01	57,771.60
(क) लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,445.38	9,521.65	9,396.88	9,141.12	8,628.06
(ख) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	901.07	1,041.49	2,626.60	3,849.32	5,496.51
(ग) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	0	0
(घ) ब्याज सहित जमा	274.29	217.11	257.63	9.72	1,300.29
(ङ) ब्याज रहित जमा	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85	42,346.74
बकाया सकल देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.49	13.34	13.90	10.78	15.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
बकाया कुल देनदारियाँ/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत)	40.01	39.78	38.43	37.04	37.72
उधारी एवं अन्य देनदारियाँ					
कुल प्राप्तियाँ	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19	1,70,865.46
कुल पुनर्भुगतान	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.46	1,21,645.34
निवल उपलब्ध ऋण	33,813.66	30,314.71	35,796.96	39,433.73	49,220.12
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	68.82	74.21	72.45	75.77	71.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

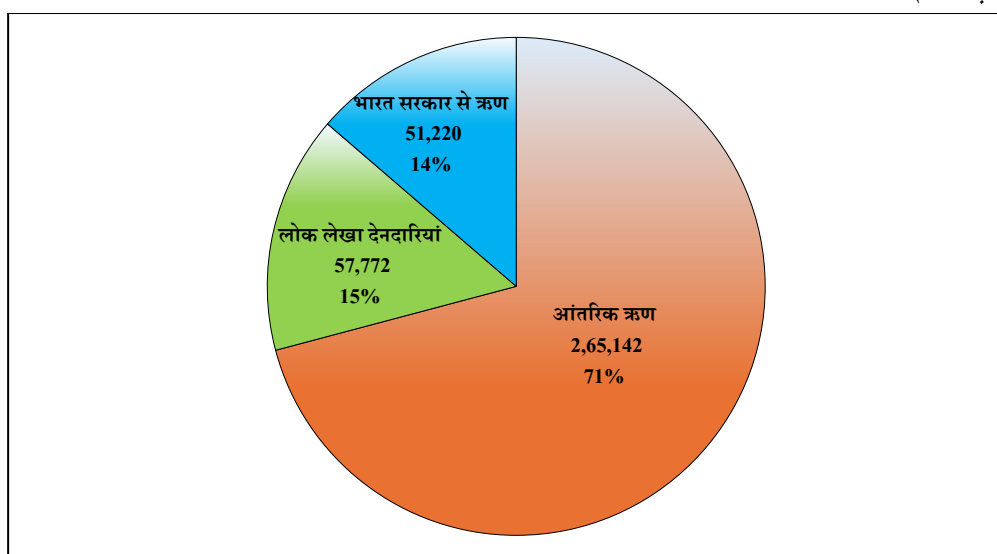
* वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, कुल देनदारियों में क्रमशः ₹ 3,905.00 करोड़ एवं ₹ 6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹ 7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।

राज्य की बकाया सकल देनदारियों में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में वृद्धि के कारण रहा। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण में 66.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से प्राप्त ऋणों में 190.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि इस अवधि में बकाया कुल देनदारी का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग के सांकेतिक ऋण प्रक्षेपण के भीतर रहा, तथापि बढ़ते हुए ऋण शोधन का बोझ तथा अपेक्षाकृत राजस्व में धीमी वृद्धि दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया सकल देनदारियों का घटक-वार विवरण चार्ट 1.33 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.33 : वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

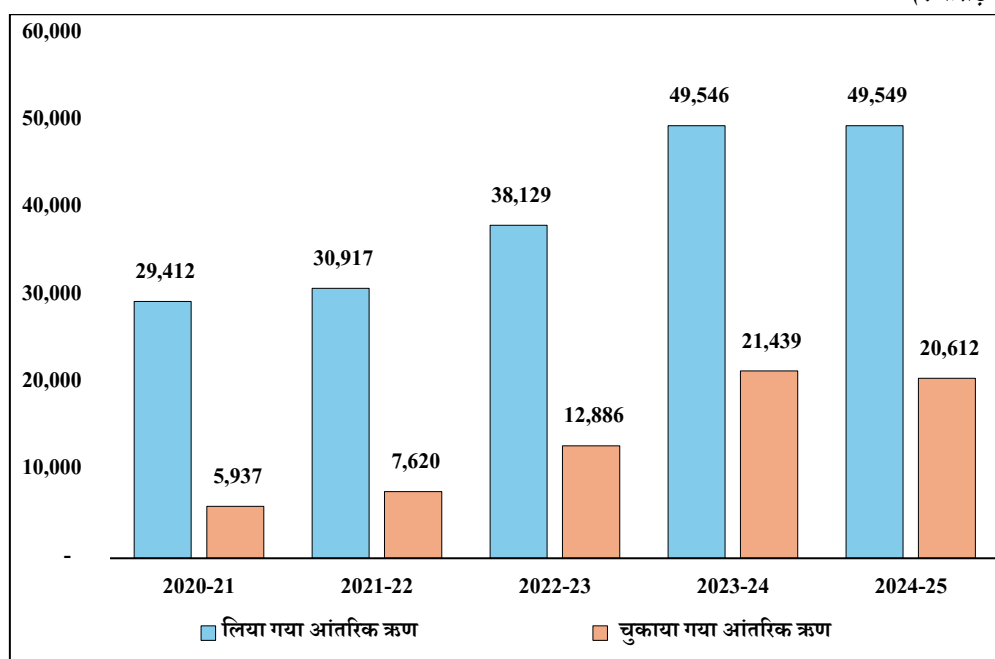


स्रोत: वित्त लेखे, 2024-25

चार्ट 1.34 पांच वर्षों की अवधि अर्थात 2020-25 के दौरान लिये गए आंतरिक ऋण एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.34: आंतरिक ऋण – प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान की तुलना

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 17,871.56 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधिक ब्याज का भार बढ़ते हुए ऋण के भुगतान की बाध्यता को दर्शाता है, जिससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है, क्योंकि ब्याज भुगतान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का हिस्सा है। साथ ही, यदि राजस्व संग्रहण में वृद्धि या व्यय के

युक्तिकरण द्वारा इसकी भरपाई न की जाए, तो उच्च ब्याज भुगतान सीधे तौर पर उच्च राजकोषीय घाटे में भी योगदान करते हैं।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग और बकाया ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। तालिका 1.30 और चार्ट 1.35 क्रमशः, वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान, उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

तालिका 1.30: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	सकल उधारी *	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19	1,70,865.46
2	पूर्व की उधारी का पुनर्भुगतान (मूलधन)	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.48	1,21,645.34
3	निवल पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
4	निवल ऋण एवं अग्रिम	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93	2,338.08
5	निवल उधार निधियों से वित्तपोषित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	15,311.52	5,185.83	2,261.86	940.76	8,355.00

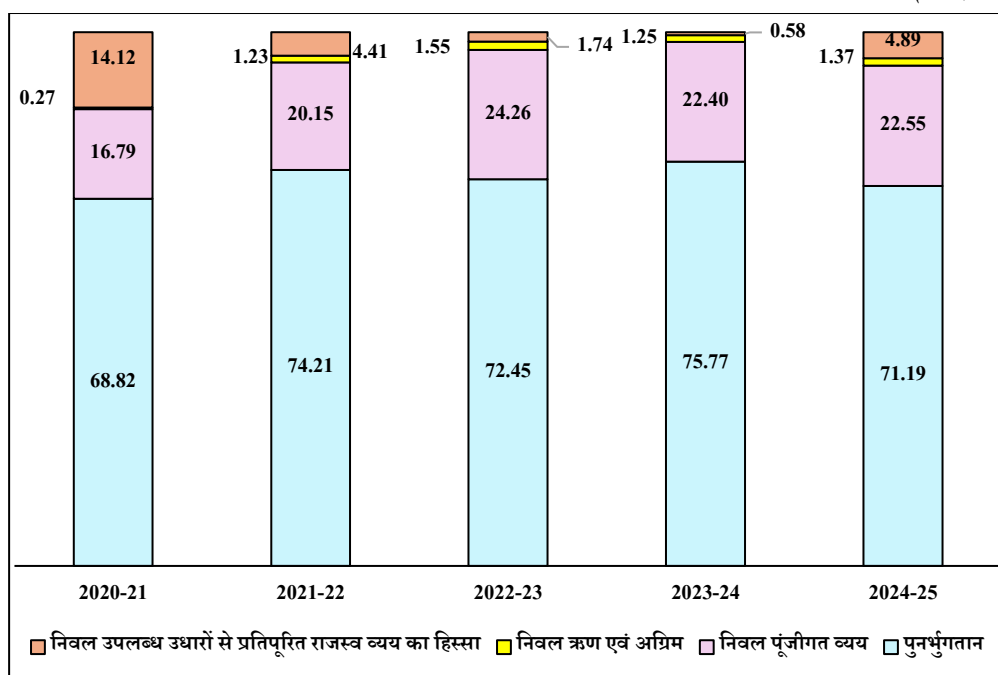
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* उधार का केवल मूलधन वाला मुख्य हिस्सा लिया गया है। चूंकि उधार के ब्याज वाले हिस्से को राज्य की राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की कुल उधारियों में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में कुल उधारियों का चार से 14 प्रतिशत भाग राज्य के राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया गया। वर्ष 2024-25 में ₹ 8,355 करोड़ की उधार राशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया, जो वर्ष 2023-24 (₹ 941 करोड़) की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यद्यपि वर्ष 2024-25 में कुल उधारियों के सापेक्ष निवल पूंजीगत व्यय के प्रतिशत में विगत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, फिर भी सकल उधारियों का 71 प्रतिशत भाग पूर्व उधारियों के पुनर्भुगतान में व्यय किया गया, जिससे परिसंपत्ति सृजन के लिए राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित रही।

चार्ट 1.35: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



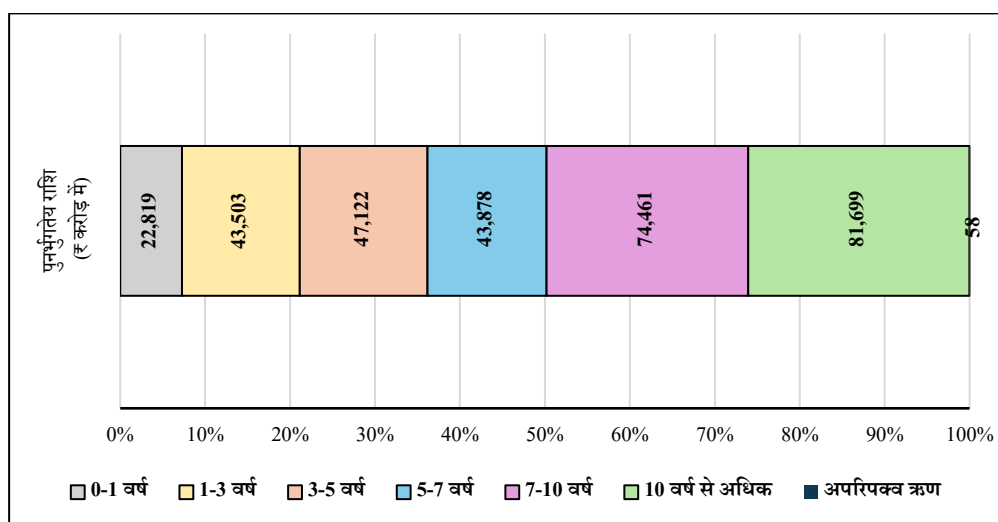
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि वर्ष 2024-25 में कुल उधारियों के सापेक्ष राज्य का निवल पूंजीगत व्यय प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है, तथापि राज्य की उधारियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय की पूर्ति में व्यय हो रहा है। इससे राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है तथा नियमित आवश्यकताओं के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। यह स्थिति दीर्घकालिक राजकोषीय संवहनीयता को कमजोर करती है तथा अवसंरचना में निवेश की क्षमता को बाधित करती है।

1.5.1.3 ऋण संरचना: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋणों की परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान संरचना सरकार की ऋण अदायगी अथवा ऋण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता संरचना चार्ट 1.36 में प्रदर्शित की गई है।

चार्ट 1.36: लोक ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा



स्रोत: वित्त लेखे 2024-25

बकाए ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ₹ 1,57,322 करोड़ (50.18 प्रतिशत), अगले सात वर्षों के अंदर देय है। इनमें से 37.5 प्रतिशत (₹ 1,13,444 करोड़) ऋण अगले पाँच वर्षों के अंदर परिपक्व हो जाएगा, जो अल्पावधि से मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण पुनर्वितीयन एवं पुनर्भुगतान जोखिम को दर्शाता है। अल्पावधि से मध्यावधि (0-7 वर्ष) में परिपक्व होने वाली देनदारियों की उच्च संकेंद्रण संभावित ऋण-समूहन का संकेत देता है, जिससे राज्य पर पुनर्वित्त एवं तरलता संबंधी दबाव बढ़ सकता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की संरचना

वर्ष 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के संरचना को तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटा					
1 राजस्व अधिशेष/घाटा	-11,325.11	-422.38	-11,288.20	2,833.06	-357.38
2 निवल पूंजीगत व्यय	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02	38,527.04
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93	2,338.08
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की संरचना					
1 बाजार उधारी	24,684.91	24,517.46	27,700.00	30,142.94	31,123.00
2 भारत सरकार से ऋण	5,559.19	8,400.61	8,689.67	9,131.11	15,168.62
3 एन०एस०एस०एफ० को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	678.85	668.71	-568.87	-147.54	-297.74
5 लघु बचत, पी०एफ०, आदि	166.29	76.28	-124.77	-255.76	-513.06
6 प्रेषण	798.44	-7.53	0.00	-2.38	0.01
7 जमा एवं अग्रिम	4,260.96	-1,600.41	404.16	1,228.61	3,980.46
8 उंचंत एवं विविध	-5,071.12	-4,386.46	9,161.01	-3,850.70	-7,757.41
9 आरक्षित निधि	351.80	140.42	1,585.11	1,222.72	1,647.20
10 समग्र घाटा	29,540.97	25,920.73	44,957.96	35,580.65	41,462.62
11 नकद शेष में (-)वृद्धि/(+)कमी	286.28	-369.45	-134.66	79.23	-240.12
12 सकल राजकोषीय घाटा	29,827.25	25,551.28	44,823.30	35,659.88	41,222.50
13. ब्याज भुगतान	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
14. प्राथमिक घाटा	17,344	11,729	29,640	18,054	21,545

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,562.62 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'भारत सरकार से ऋण' तथा 'जमा एवं अग्रिम' में वृद्धि है। जबकि, वर्ष 2024-25 के दौरान 'ब्याज भुगतान' में वृद्धि के कारण राज्य का प्राथमिक घाटा 2024-25 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,491 करोड़ बढ़ गया।

1.5.2 लेखापरीक्षा उपरांत घाटे के संकेतक

वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा ₹357.38 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 0.04 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹41,222.50 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 4.16 प्रतिशत) तथा प्राथमिक घाटा ₹21,544.36 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 2.17 प्रतिशत) था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राजस्व प्रकृति के ₹33.11 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया (कंडिका 2.5.5)। इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि पर ब्याज का अल्प अंतरण, सिंगल नोडल एजेंसी (एस०एन०ए०) एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निधि का अंतरण न करना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, सड़क सुरक्षा उपकर तथा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से संबंधित निधियों का अंतरण न करना भी उस सीमा तक लेखापरीक्षा उपरांत घाटे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे।

इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा उस सीमा तक कम दर्शाए गए थे। लेखापरीक्षा उपरांत राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹2,500.81 करोड़ तथा ₹23,687.79 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 0.25 प्रतिशत एवं 2.39 प्रतिशत) पाया गया।

1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006 और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुरूप यथा संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को जी०एस०डी०पी० की तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना तथा सुधार संबंधी मानकों की पूर्ति पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति देना; और
- बकाया ऋण के सापेक्ष जी०एस०डी०पी० अनुपात को 39.90 प्रतिशत से कम रखना।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों (लेखापरीक्षा उपरांत) का विवरण तालिका 1.32 में दिया गया है।

तालिका 1.32: बी०एफ०आर०बी०एम० (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय संकेतक		एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल.	18,429	3,918	8,976	15,186	22,756
	उ.	-12,032.18 X	-2,792.85 X	-11,693.39 X	2,154.88 X	-2,500.81 X
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में) #	ल.	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.50
	उ.	-5.32 X	-4.60 X	-6.02 X	-4.15 X	-4.37 X
जी०एस०डी०पी० का कुल बकाया देनदारियों के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)	ल.	41.20	40.20	40.80	40.40	39.90
	उ.	40.01 ✓	39.78 ✓	38.43 ✓	37.04 ✓	37.72 ✓

राजकोषीय संकेतक		एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	ल.	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं				
	उ.	9.74	8.70	8.79	9.11	8.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

0.5 प्रतिशत जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों और शर्तों के अधीन ऊर्जा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति शामिल है

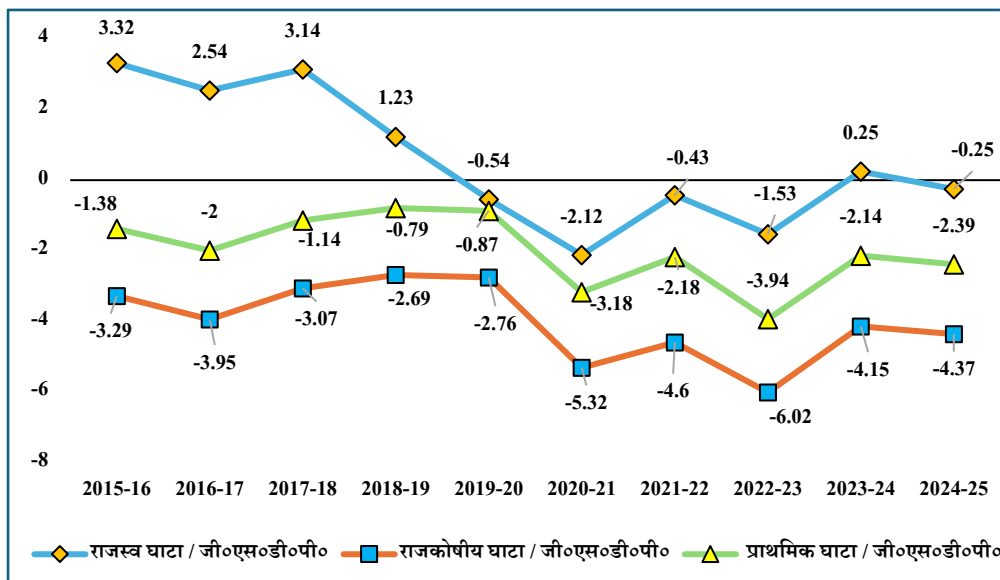
नोट 1: ल.-लक्ष्य और उ.-उपलब्धि

नोट 2: '✓' प्राप्त लक्ष्य को दर्शाता है, 'X' लक्ष्य प्राप्त न होने को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अनुरूप राजस्व अधिशेष लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। राज्य का राजकोषीय घाटा भी बी०एफ०आर०बी०एम० के तहत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय और प्राथमिक घाटा अपने उच्चतम स्तर पर था, जो उस वर्ष में अधिक व्यय या उधारी को दर्शाता है। हालांकि, इसके बाद दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, हालांकि, राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, लेकिन विगत पांच वर्षों के दौरान यह प्रतिशत 8.7 और 9.7 प्रतिशत के बीच रहा। समग्र रूप से, वर्ष 2022-23 के पश्चात राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार देखा गया। लेखापरीक्षा उपरांत अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति का विश्लेषण चार्ट 1.37 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.37: लेखापरीक्षा उपरांत अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति का विश्लेषण

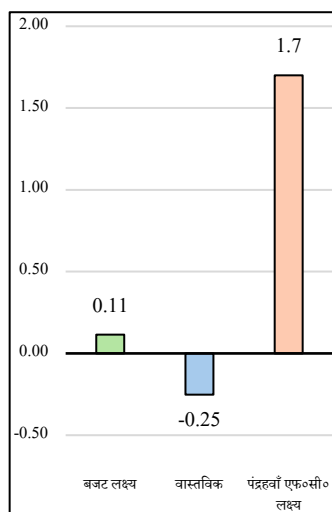
(प्रतिशत में)



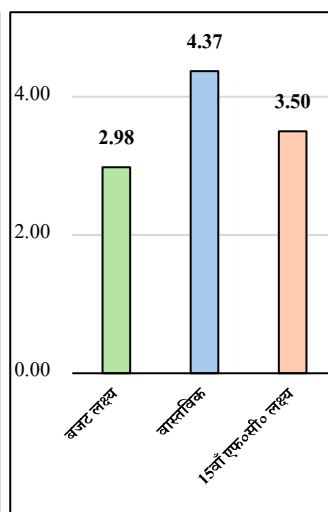
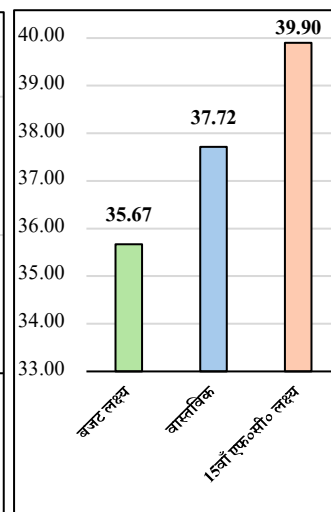
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०डी०पी० के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना चार्ट 1.38, चार्ट 1.39 एवं चार्ट 1.40 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.38: राजस्व अधिशेष



चार्ट 1.39: राजकोषीय घाटा

चार्ट 1.40: बकाया देयताएं
(जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार 0.5 प्रतिशत का लक्ष्य, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानकों एवं शर्तों के अधीन ऊर्जा क्षेत्र हेतु अतिरिक्त उधारी की अनुमति शामिल है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार राजस्व घाटा से जी०एस०डी०पी० और राजकोषीय घाटा से जी०एस०डी०पी० के अनुपात को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर नहीं रख पाई। कुल बकाया देयता से जी०एस०डी०पी० का अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्तरों के भीतर रहा, लेकिन बजटीय अनुमानों से अधिक था।

1.5.4 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व निर्वहन करने की क्षमता से है। ऋण संवहनीयता संकेतकों में परिवर्तन का विश्लेषण तालिका 1.33 में दिया गया है।

तालिका 1.33: ऋण संवहनीयता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देनदारियाँ या समग्र ऋण	2,27,195.51	2,57,510.23	2,93,307.16	3,24,913.38	3,74,133.50
2	समग्र देनदारियाँ / ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.49	13.35	13.90	10.78	15.15
3	जी०एस०डी०पी० (सांकेतिक कीमतों पर)	5,67,814	6,47,394	7,63,165	8,77,197	9,91,997
4	सांकेतिक जी०एस०डी०पी० वृद्धि दर (प्रतिशत में)	-2.41	14.02	17.88	14.94	13.09
5	समग्र ऋण/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	40.01	39.78	38.43	37.04	37.72
6	सकल उधारियों के सापेक्ष पुनर्भुगतान (प्रतिशत में)	80.33	85.97	84.14	86.59	82.71

क्रम संख्या	ऋण संहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क	समग्र उधारियाँ (क्रम संख्या 1 में प्रदर्शित सकल ऋण से संबंधित मदों के अनुरूप)	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19	1,70,865.46
ख	उधारियों का पुनर्भुगतान (क्रम संख्या 1 में प्रदर्शित सकल ऋण से संबंधित मदों के अनुरूप, जिसमें मूलधन एवं ब्याज भुगतान शामिल हैं)	87,102.68	1,01,034.79	1,09,337.17	1,40,897.26	1,41,323.48
7	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	19.67	14.03	15.86	13.41	17.29
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	12,484.03	13,821.93	15,183.54	17,605.80	19,678.14
9	समग्र ऋण ¹³ पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
10	राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.74	8.70	8.79	9.11	8.99
11	निवेश पर प्रतिफल (आर०ओ०आई०)	0.84	0.65	0.50	13.29	0.09
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	-11,325.11	-422.38	-11,288.20	2,833.06	-357.38
13	प्राथमिक राजस्व शेष (8+12)	1,159.03	13,398.93	3,895.54	20,438.86	19,320.76
14	प्राथमिक शेष (पी०बी०)	-17,343.21	-11,729.34	-29,639.76	-18,054.08	-21,544.36
15	पी०बी०/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	-3.05	-1.81	-3.88	-2.06	-2.17
16	निवेश पर प्रतिफल ¹⁴ एवं समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर (11-9)	-6.37	-6.13	-5.90	6.87	-6.29
17	तरलता प्रबंधन (आर०बी०आई० के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	इंटेरेस्ट स्प्रेड (प्रतिशत) (4-9)	-9.62	7.24	11.48	8.52	6.71
19	क्वांटम स्प्रेड ¹⁵ (इंटेरेस्ट स्प्रेड $\times$ ऋण/100)	-18,080.45	15,887.73	29,306.75	24,035.56	22,259.36
20	ऋण संहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक राजस्व शेष)	-35,423.67	4,158.40	-333.01	5,981.48	715.00
21	डोमर गैप					
क	जी०एस०डी०पी० (स्थिर मूल्यों पर)	3,68,970	3,87,256	4,36,909	4,89,126	5,31,372
ख	वास्तविक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)	-7.37	4.96	12.82	11.95	8.64

¹³ समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, ब्याज रहित जमाराशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को 50 वर्ष की ब्याज मुक्त केन्द्रीय सहायता को समायोजित करने के पश्चात की गई है।
प्रभावी ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ ऋण की प्रारंभिक एवं अंतिम शेष राशि का औसत $\times$ (बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर) $\times 100$.

¹⁴ निवेश पर प्रतिफल को ब्याज प्राप्ति से प्रभावी दर के रूप में मापा जाता है।
निवेश पर प्रतिफल = ब्याज प्राप्ति / (वितरित ऋण एवं अग्रिमों की प्रारंभिक एवं समापन शेष राशि का औसत) $\times 100$

¹⁵ क्वांटम स्प्रेड = इंटेरेस्ट स्प्रेड $\times$ ऋण (ब्याज रहित देनदारियों को छोड़कर)।

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता के संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ग	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	6.59	4.67	5.72	5.83	6.04
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.21	6.78	6.40	6.42	6.38
ङ	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर – मुद्रास्फीति)	0.62	2.11	0.68	0.69	0.34
च	वृद्धि एवं ब्याज का अंतर (वास्तविक वृद्धि दर – वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-7.99	2.85	12.14	11.36	8.30
छ	प्राथमिक शेष (पी०बी०)	(-)17343.21	(-)11729.34	(-)29639.76	(-)18054.08	(-)21544.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं जी०एस०डी०पी० के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल देनदारियों में ₹3,905.00 करोड़ एवं इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में ₹6,815.63 करोड़, जो जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति की कमी की भरपाई हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, शामिल किया गया है। इनमें से ₹7,827.52 करोड़ को वर्ष 2024-25 के दौरान जी०एस०टी० के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्रोफार्मा संशोधन द्वारा समायोजित किया गया था।

ऋण संवहनीयता विश्लेषण दर्शाता है कि राज्य का ऋण भार, जिसे ऋण-जी०एस०डी०पी० अनुपात से मापा जाता है, वर्ष 2020-21 के 40.01 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 37.04 प्रतिशत हो गया, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। हालांकि, वर्ष 2024-25 में मामूली वृद्धि होकर यह 37.72 प्रतिशत हो गया। वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि – वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) इस अवधि में (वर्ष 2024-25 को छोड़कर) सुधरा। तथापि, वर्ष 2024-25 में वृद्धि ब्याज से अंतर में कमी, प्राथमिक संतुलन में गिरावट तथा ऋण वृद्धि का सांकेतिक वृद्धि दर से अधिक होने के कारण, ऋण से जी०एस०डी०पी० के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई।

सकल उधारियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध निधियाँ कम रहीं, क्योंकि उधारियों का एक बड़ा हिस्सा पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान में व्यय हुआ, जिससे पूंजीगत व्यय या नई प्राथमिकताओं के लिए अपेक्षाकृत कम राजकोषीय उपलब्धता रही, जब तक कि उच्च राजस्व द्वारा इसका समर्थन न किया जाए।

ऋण की संवहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष) में विगत वर्षों के दौरान अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई, जो यह संकेत देती है की प्राथमिक अधिशेष के माध्यम से कुल ऋण के स्तर को स्थिर रखने या कम करने की दिशा में कोई सतत प्रयास नहीं हुआ।

निष्कर्षतः, विगत चार वर्षों में राज्य का ऋण से जी०एस०डी०पी० का अनुपात महामारी के समय के स्तर से नीचे बना रहा। यदि राज्य ऋण वृद्धि की गति को सांकेतिक आर्थिक वृद्धि की गति से धीमा रखे, तो यह अनुपात घट सकता है अथवा स्थिर रह सकता है। वृद्धि एवं ब्याज का अंतर तथा प्राथमिक अधिशेष में निरंतर सुधार से राज्य अपने ऋण संरचना का प्रबंधन इस प्रकार कर सकेगा कि राजकोषीय समायोजन का आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1.5.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देनदारियाँ

प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता द्वारा चूक (डिफॉल्ट) की स्थिति में संचित निधि पर संभावित देनदारियाँ (आकस्मिक देनदारियाँ) होती हैं। राज्य सरकार वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं जैसी निकायों लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना करनी थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान करना था। इस निधि में संचित राशि का उपयोग केवल उन ऋणों के विरुद्ध जारी प्रत्याभूतियों के भुगतान हेतु किया जाना है, जिनका भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया हो। राज्य सरकार प्रत्याभूति मोचन निधि में निवेशित अतिरिक्त निधियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा भी प्राप्त कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 25,256.75 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण तथा बकाया प्रत्याभूतियों का राज्य की सकल प्राप्तियों के सापेक्ष स्थिति तालिका 1.34 में दी गई है।

तालिका 1.34 : राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया प्रत्याभूतियों की राशि पर लागू अधिकतम सीमा	25,113.74	37,631.92	40,897.18	51,682.79	51,682.79
वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	5,484.55	16,407.71	25,069.78	25,939.25	28,040.95
वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	16,407.71	25,069.78	25,939.25	28,040.95	24,370.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2025 तक ₹ 24,370.83 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्य रूप से ऊर्जा प्रक्षेत्र (₹ 15,606.23 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 1,660.61 करोड़), और राज्य वित्त कंपनियों/निगमों (₹ 7,103.99 करोड़) से संबंधित थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने ₹ 31,036.15 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ दी, जो बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित सीमा (₹ 25,256.75 करोड़) से काफी अधिक थी।

राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2025 को प्रत्याभूति की सीमा और वसूली जाने वाली प्रत्याभूति शुल्क तय करने के साथ-साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया। सरकार ने इस नवनिर्मित फंड में ₹ 1,000 करोड़ अंतरित किए थे।

प्रत्याभूतियाँ, गैर-बजट आकस्मिक देनदारियाँ होती हैं; यदि लाभार्थी चूक करता है, तो राज्य को प्रत्याभूति का निर्वहन करना पड़ता है, जिससे संभावित देनदारी वास्तविक ऋण में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्याभूतियों की राशि जितनी बड़ी होगी, भुगतान में चूक की स्थिति में उतना ही अधिक राजकोषीय आघात उत्पन्न हो सकता है। उच्च प्रत्याभूति दायित्व राज्य की नई उधारी लेने की क्षमता को सीमित कर सकता है तथा उधारी की लागत को भी बढ़ा सकता है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता की दिशा में उपाय

राजस्व में वृद्धि और व्यय को युक्तिसंगत बनाकर घाटे को कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कर के अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर के आधार का विस्तार करना, उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करना और

निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के मामले में, सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करना, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना और व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देने और पारदर्शी और कुशल उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करने से राजकोषीय दबाव को और कम किया जा सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को सतत रूप से कम करने में सहायक होते हैं। इन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता का प्रभावी दोहन राजकोषीय संसाधनों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है तथा ऋण पर निर्भरता को कम कर सकता है। राज्य जी०एस०टी०, मुद्रांक शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों में मूल्यांकन की अप्रभाविता, निम्न मूल्यांकन तथा सीमित प्रवर्तन तंत्र राजस्व में संभावित वृद्धि को न्यून करते हैं। गैर-कर राजस्व की कम वसूली, निम्न उपयोगकर्ता शुल्क, लागत वसूली की कमी तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिफल भी राजकोषीय संसाधनों को सीमित करते हैं। लंबित बकायों (कर एवं गैर-कर) की समय पर वसूली भी राजकोषीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क बकाया राजस्व

सरकार को प्राप्य राजस्व संग्रहण का बकाया होना विलम्ब से राजस्व की वसूली को दर्शाता है। ऐसे अनिर्णीत बकाया प्रभावी राजस्व अंतर्प्रवाह को कम करते हैं, उधारी पर निर्भरता बढ़ाते हैं तथा आकस्मिक राजकोषीय जोखिम उत्पन्न करते हैं। राज्य के सात प्रमुख कर-संग्रह विभागों¹⁶ में से केवल पाँच विभागों ने राजस्व बकाया से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। 31 मार्च 2025 तक, मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,107.32 करोड़ का बकाया राजस्व वसूली हेतु लंबित था, जैसा कि तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 को बकाया राशि
1	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	68.81
2	राज्य उत्पाद	59.73
3	भू-राजस्व	1,120.48
4	वैट/जी०एस०टी०	2,632.44
5	वाहनों पर कर	225.86
	कुल	4,107.32

स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

राजस्व बकाया के कारणों में न्यायालयों/अपील प्राधिकरणों द्वारा वसूली पर स्थगनादेश, करदाताओं/व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण वसूली लंबित रहना आदि शामिल पाए गए।

ख मूल्यांकन में बकाया

मूल्यांकन में बकाया उस संभावित राजस्व को दर्शाता है, जो राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा विलंबित आकलन के कारण अवरुद्ध रहता है। सात प्रमुख कर-संग्रह विभागों में से केवल चार विभागों ने बकाया

¹⁶ वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन), मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

आकलन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान आकलन हेतु देय हुए प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप से लंबित प्रकरणों की संख्या संबंधी जानकारी, उत्पाद विभाग तथा कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में उपलब्ध कराई गई है, जिसका विवरण तालिका 1.36 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: मूल्यांकन का बकाया

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	2024-25 की शुरुआत में लंबित मामले	2024-25 के दौरान जोड़े गए नए मामले	मूल्यांकन के लिए योग्य मामलों की कुल संख्या	2024-25 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अंत में लंबित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1	उत्पाद	506	0	506	6	500	1.18
2	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	2,332	942	3,274	375	2,899	11.45
3	वैट/जी०एस०टी०	23,186	12,120	35,306	14,182	21,124	40.17
4	वाहनों पर कर	32,018	853	32,871	3,212	29,659	9.77
कुल		58,042	13,915	71,957	17,775	54,182	

स्रोत: बिहार सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कर आकलन में बढ़ता पिछला बकाया राजस्व प्राप्ति को कम करता है, विधिक जोखिम को बढ़ाता है तथा राजकोषीय पूर्वानुमान को कमजोर करता है।

ग विभाग द्वारा कर अपवंचन की पहचान, प्रतिदाय मामलों आदि का विवरण

कर अपवंचन के पहचाने गए प्रकरण, निस्तारित प्रकरणों की संख्या तथा अतिरिक्त कर की उठाई गई मांगें राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा पहचाने गए कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर की मांगों का विवरण, संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, तालिका 1.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: कर अपवंचन की पहचान

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को लंबित मामले	2024-25 के दौरान सामने आए मामले	मूल्यांकन के लिए कुल मामले	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और जुर्माने के साथ अतिरिक्त मांग आदि उठाई गई है		वर्ष के अंत में शेष मामले	निस्तारण का प्रतिशत
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)		
1	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	684	201	885	259	5.74	626	29.27
2	राज्य उत्पाद	178	0	178	110	4.23	68	61.80
3	वैट/ जी०एस०टी०	68	3,323	3,391	3,270	1,853.57	121	96.43
कुल		930	3,524	4,454	3,639	1,863.54	815	81.70

स्रोत: बिहार सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

1.5.6.2 व्यय से संबंधित मुद्दे

राजकोषीय संसाधनों पर अपरिशोधित देनदारियों का प्रभाव

अपरिशोधित/आस्थगित देनदारियाँ यदि समय पर न निपटाई जाएँ, तो भविष्य में विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों को कम कर देती हैं। पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त, ये राज्य की संसाधन जुटाने की सतत क्षमता को भी प्रभावित करती हैं, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कई अपरिशोधित देनदारियाँ संचित कर ली हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (₹ 3.95 करोड़), भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 211.12 करोड़), सड़क सुरक्षा उपकर (₹ 205.41 करोड़) जैसे ₹ 420.48 करोड़ की सांविधिक निधियों/उपकरणों का अंतरण न होना।
- कुल ₹ 300.83 करोड़¹⁷ की अपरिशोधित ब्याज देनदारियाँ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में राज्य सरकार के अंशदान ₹ 1,341.37 करोड़ का अल्पांतरण/अनंतरण
- ₹ 77.14 करोड़ की राशि के करों के प्रतिदाय के लंबित मामले।

इन अपरिशोधित देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 2,139.82 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के जी०एस०डी०पी० का 0.21 प्रतिशत तथा उसी वर्ष के राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत के समतुल्य है।

1.6 निष्कर्ष

- यद्यपि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ जी०एस०डी०पी० की वृद्धि के अनुरूप रहीं, तथापि स्वयं के संसाधनों के संग्रहण में मध्यम स्तर का उछाल देखा गया। राज्य की संघीय करों पर निर्भरता निरंतर बनी रही। ऐसी संरचनात्मक निर्भरता ने राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं को अपने संसाधनों से वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित किया तथा राजकोषीय संवेदनशीलता को बढ़ाया।
- वर्ष 2024-25 में राज्य के गैर-कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० में हिस्सा केवल 0.58 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2023-24 (0.60 प्रतिशत) की तुलना में कम था। साथ ही, वर्ष 2024-25 में पंद्रहवें वित्त आयोग एवं बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बी०एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गैर-कर राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।
- वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी मिलकर राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का 43 से 48 प्रतिशत भाग रहा। उच्च एवं अनम्य व्यय ने राजकोषीय संसाधनों को संकुचित किया, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं हेतु संसाधन आवंटन की क्षमता सीमित हुई।

¹⁷ राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि: ₹ 13.21 करोड़, राज्य आपदा मोचन निधि : ₹ 219.96 करोड़, राज्य आपदा शमन निधि: ₹ 67.66 करोड़।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में राज्य सरकार बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, तथापि विगत दो वर्षों में इसकी स्थिति में सुधार देखा गया। वर्ष 2020-25 के दौरान सकल उधारियों का 80 प्रतिशत से अधिक भाग ऋण शोधन एवं राजस्व व्यय के वित्तपोषण में व्यय हुआ, जिससे निवल पूंजीगत सृजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता सीमित रही।
- राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तथापि यह प्रतिशत 8.7 से 9.7 के बीच रहा।
- 2020-25 के दौरान सकल बकाया देनदारियों का जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष अनुपात 37.04 प्रतिशत से 40.10 प्रतिशत के बीच रहा। यह अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अंदर था।
- वर्ष 2024-25 में अपरिशोधित देनदारियाँ (बकाया, अप्रदत्त देयताएँ, लंबित प्रतिबद्ध भुगतान) ₹ 2,139.82 करोड़ थीं, जो राज्य के राजकोषीय घाटे का 5.19 प्रतिशत विलंबित व्यय को दर्शाती है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 31,036.15 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ प्रदान कीं, जो एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में निर्धारित सीमा (₹ 25,256.75 करोड़) से अधिक थीं। उच्च प्रत्याभूति दायित्व राज्य की नई उधारी लेने की क्षमता को सीमित कर सकता है तथा उधारी की लागत को बढ़ा सकता है।
- राज्य ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई लाभांश नीति निर्धारित नहीं की है। वर्ष 2021-25 के दौरान सरकार की इक्विटी पर प्रतिफल लगातार अत्यंत न्यून (0.002 प्रतिशत) रहा।

1.7 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- सार्वजनिक उपक्रमों की लाभप्रदता बढ़ाकर, युक्तिसंगत उपयोगकर्ता शुल्क लागू कर, रॉयल्टी एवं शुल्क संग्रह तंत्र में सुधार कर तथा राजस्व प्रशासन का डिजिटलीकरण कर गैर-कर राजस्व में वृद्धि कर सकती है।
- कर प्रशासन को सशक्त बनाने, कर के आधार का विस्तार करने, जी०एस०टी० एवं संपत्ति कर अनुपालन में सुधार करने तथा कुशल निगरानी एवं संग्रह हेतु डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करने पर बल दे सकती है।
- सब्सिडी के युक्तिकरण एवं प्रतिबद्ध व्यय के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना तथा सतत राजकोषीय संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है।
- पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता और प्राथमिकता को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना क्षेत्रों में आवंटन बढ़ा सकती है, व्ययों के गलत वर्गीकरण से बच सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास की गति के अनुरूप बना रहे।
- लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु लाभांश नीति लागू कर, अलाभकारी इकाइयों में विनिवेश तथा ऋण एवं अग्रिमों की प्रभावी निगरानी कर सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में सुधार तथा वित्तीय अनुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है।

- परिसंपत्ति सृजन पर केंद्रित अनुशासित ऋण रणनीति, राजस्व संकलन को सुदृढ़ करना, प्रतिबद्ध व्यय पर नियंत्रण रखना तथा बिहार वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।
- प्रत्याभूतियों के निर्गमन पर एक युक्तिसंगत सीमा निर्धारित की जाए, क्योंकि उनके मांग किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार पर महत्वपूर्ण राजकोषीय दबाव उत्पन्न हो सकता है।
- सभी अपरिशोधित देनदारियों का पारदर्शी प्रकटीकरण तथा उनके समयबद्ध निपटान हेतु प्रावधान सुनिश्चित कर सकती है, ताकि भविष्य में राजकोषीय दबाव से बचा जा सके।